अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र

सर्वोदय जगत

वर्ष-40, अंक-12, 1-15 फरवरी, 2017

13 फरवरी : सरोजनी नायडू-जयंती

कविता से राजनीति तक भारत-कोकिला

"हम सम्पन्न पश्चिम के रथ के पीछे घसीटे जा रहे हैं। उसके चक्कों से उड़ती धूल से हमारा दम घुट रहा है। रथ के तेज शोर से हम बहरे हो रहे हैं। अपनी इस लाचारी के कारण हम दीन-हीन से बन गये हैं। क्या इस 'रथ-यात्रा' को हम प्रगति मान लें?"

–गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर

सर्व सेवा संघ
(अखिल भारत सर्वोदय मंडल)
द्वारा प्रकाशित

अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र
सर्वोदय जगत
सत्य, अहिंसा एवं सर्वोदय-सम्पूर्ण क्रांति का संदेश वाहक

वर्ष : 40, अंक : 12, 1-15 फरवरी, 2017

प्रधान संपादक
बिमल कुमार
मो. : 9235772595
संपादक
अशोक मोती
मो. : 9430517733

संपादक मंडल
डॉ. रामजी सिंह भवानी शंकर 'कुसुम'

संपादकीय कार्यालय
सर्व सेवा संघ, साधना केन्द्र
राजघाट, वाराणसी-221001 (उ.प्र.)
फोन : 0542-2440-385/223
ईमेल : sarvodayajagat@gmail.com
Website : sssprakashan.com

शुल्क

मूल्य	:	05 रुपये
वार्षिक	:	100 रुपये
आजीवन	:	1000 रुपये

खाता संख्या : 383502010004310
IFSC No. UBIN-0538353
Union Bank of India
Rajghat, Varanasi

इस अंक में...

1. सरकारी खादी बनाम क्रांतिकारी खादी... 2
2. चरखा तो एक अद्वितीय उद्योग है... 3
3. धर्म युग का संदेश... 4
4. नेहरू-पटेल-लोहिया : त्रिभुज चिन्ताएं... 6
5. कविता से राजनीति तक भारत... 11
6. 'नर्मदा' के साथ भी 'गंगा' जैसा... 13
7. विकासशील देशों की लूट को छुपाकर... 15
8. कृषि पर बेढंगी चाल... 17
9. गतिविधियां एवं समाचार... 19
10. गांधी का अपमान : मानवता का... 20

संपादकीय

सरकारी खादी बनाम क्रांतिकारी खादी

चरखे के पीछे सरकार प्रमुख को प्रस्तुत करना, वह भी गांधी को हटाकर, खादी विचार के सामने कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है।

सरकार प्रायोजित तथा सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त खादी, क्रांतिकारी खादी नहीं है। यह सरकार की कई योजनाओं का एक हिस्सा मात्र है। खादी, लघु उद्योग, मध्यम-स्तर के उद्योग एवं वृहत उद्योग, ये सभी सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। और, सरकार की व्यापक आर्थिक रणनीति, इन सभी स्तर के उद्योगों को वैश्विक पूंजीवादी बाजार के लिए खोलना है। आने वाले समय में खादी की तकनीक, प्रबंधन एवं बाजार; तीनों पर वैश्विक पूंजी का स्पष्ट प्रभाव दिखेगा। इसीलिए खादी के इस नव-पूंजीवादी संस्करण के प्रचार-विस्तार के लिए गांधी उपयुक्त छवि नहीं हैं। इस नयी खादी का चेहरा वो सरकार प्रमुख ही हो सकता है, जो वैश्विक पूंजीवादी बाजार के अंतर्गत सभी आर्थिक क्षेत्रों व क्रियाओं को लाने के लिए कटिबद्ध है। नयी आने वाली खादी गांधी के विचार की खादी नहीं होगी, इसलिए सरकारी एवं वैश्विक पूंजी के विचार का प्रतिनिधित्व करने वाली खादी से उन्होंने गांधी को हटा दिया है, तो मात्र एक सच्चाई का ही बयान किया है।

गांधी की खादी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से टक्कर ली थी; वो खादी स्वदेशी का आधार थी तथा नयी चेतना की वाहक थी। वो क्रांतिकारी खादी थी। क्रांतिकारी खादी के समर्थकों को अपनी खादी में इन तीनों तत्त्वों को पुनः समावेषित करना होगा। अर्थात इस खादी को सरकार से मुक्त रखकर ही पूंजीवादी-वैश्विक बाजारवादी शक्तियों से टक्कर देने वाली खादी बनाना होगा। दूसरे इसे स्वदेशी का आधार बनाना होगा। स्वदेशी में दो तत्त्व शामिल हैं। एक, अपने क्षेत्र व पड़ोस के स्रोत व श्रम आधारित। दूसरे जिससे शरीर श्रम की प्रतिष्ठा हो, अर्थात प्रबंधक वर्ग या पूंजी का नियंत्रण करने वाला वर्ग भी श्रमिक ही हो, श्रम न करने वाला न हो। ये दोनों तभी संभव है जब पूंजी, तकनीक, श्रम एवं उत्पादन का वितरण, ये चारों उपादान श्रमिक के नियंत्रण में रहें। गांधी की खादी इस दिशा में एक क्रांतिकारी प्रयोग थी। इन्हीं वैचारिक आधारों के इर्द-गिर्द अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों को खड़ा करना था।

अर्थात खादी एवं अन्य सभी रचनात्मक कार्यक्रमों के बीच गहरे अंतःसंबंध का निर्माण भी होते जाना चाहिए था। खादी एवं ग्रामोद्योग के सरकारी नियंत्रण में आने से उसका अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों से सहवायी संबंध टूट गया। इसके दोषी कौन थे, आज इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। किन्तु स्वतंत्र, स्वायत्त क्रांतिकारी रचनात्मक कार्यक्रमों का अपना साझा तंत्र बने जो सरकार-सत्ता मुक्त तथा पूंजीवादी अर्थ-सत्ता से भी मुक्त हो।

गांधी की खादी में अर्थसत्ता इस कारण कायम थी क्योंकि खादी का कार्यकर्ता केवल खादी कार्य से ही नहीं जुड़ा था, बल्कि वह आजादी की लड़ाई से भी जुड़ा था, पूंजीवादी-साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष से भी जुड़ा था। इसी प्रकार क्रांतिकारी खादी के कार्यकर्ता को भी आज वैश्विक पूंजीवादी बाजार के सर्वग्रासी अभियान के विरुद्ध संघर्षों में शामिल होना होगा। जल-जंगल-जमीन व खनिज के दोहन व उनसे जुड़े परंपरागत श्रम समुदायों के शोषण के खिलाफ संघर्षों को खड़ा करना होगा। खादी व अन्य रचनात्मक कार्य तब इन आंदोलनों की रीढ़ बनकर सहयोग दे सकेंगे। सत्याग्रह एवं रचनात्मक कार्यक्रम अलग नहीं हैं। समाज परिवर्तन के दो पहलू मात्र हैं। कोई भी एक अकेला प्रभावी नहीं हो पायेगा।

खादी ग्राम-स्वराज्य की केन्द्रीय धुरी भी है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि किसान एवं अन्य ग्रामीण वर्ग इससे जुड़ें एवं स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा बनें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुराष्ट्रीय निगमों के बढ़ते प्रभाव से मुक्त कराने में खादी एवं किसानी को मिलकर आंदोलन खड़ा करना होगा। खाद, बीज, पानी, उर्वरक से लेकर ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, तमाम क्षेत्रों से स्वावलंबन बहिष्कृत हो रहा है। खादी को संपूर्ण स्वदेशी-स्वावलंबी ग्राम स्वराज्य की धुरी बनाने की दिशा में काम करना होगा।

अंत में केवीआईसी को धन्यवाद कि उन्होंने यह बता दिया कि वे सरकारी नीति के प्रवक्ता हैं, पालक हैं; गांधी की क्रांतिकारी खादी के नहीं। क्रांतिकारी खादी के पक्षधरों का यदि केवीआईसी से मोहभंग नहीं हुआ है तो ईश्वर उन्हें सन्मति दे।

बिमल कुमार

चरखा तो एक अद्वितीय उद्योग है

❑ गांधी

आपके अध्ययन का केन्द्र चरखा ही हो। आप चरखे को धार्मिक और पारमार्थिक दृष्टि से देखें, इसके शास्त्र को जानकर इसका प्रचार करने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि आप लोग यहां समाज के सेवक बनने की तैयारी कर रहे हैं।

मैंने यह जो इतनी परीक्षा ली, इसका कारण यह है कि आपकी प्रशंसा मैंने बहुत सुनी थी और अब मैं जो-कुछ कहने जा रहा हूं, वह आलोचना के रूप में नहीं, बल्कि आपकी कोशिशों की कद्र करते हुए, आपकी मदद करने के ख्याल से, कह रहा हूं। मुझे आपसे यह कहना ही चाहिए कि यदि आपका सबसे तेजस्वी बालक ऐसा है, तो मुझे संतोष नहीं हुआ। उसके (संस्कृत शब्दों के) उच्चारण से मुझे संतोष नहीं हुआ और अनुवाद से भी नहीं। उसका अंग्रेजी उच्चारण भी खराब था। संस्कृत हो या अंग्रेजी हमें ऐसे ही शिक्षक रखने चाहिए, जो इन भाषाओं को ठीक-ठीक सिखा सकें। यदि ऐसा शिक्षक उपलब्ध न हो तो विषय सिखाना ही नहीं चाहिए। परंतु हमने तो सत्याग्रह छोड़ दिया है, इसलिए हम जनता को येन-केन रिझाने की दृष्टि से अपने कार्यक्रम बना लेते हैं। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में सत्य का ही अनुसरण करना चाहिए।

अब मैं चरखे के बारे में आप लोगों की जो धारणा है, उसमें किंचित परिवर्तन करने का सुझाव देना चाहता हूं। आप लोग अनेक उद्योगों की तालीम देते हैं। आपने चरखे को, अपने उन अनेक उद्योगों में से, एक के रूप में स्थान दिया है। परंतु चरखा तो एक अद्वितीय उद्योग है। इसलिए उसको अनेक चीजों में से एक मान लेना, न तो शोभाजनक है और न व्यावहारिक। चरखा अन्य उद्योगों का सजातीय उद्योग नहीं है, चरखे का तो अपना अनोखा स्थान है। उद्योग तो आजीविका के निमित्त सिखाए जाते हैं। यदि चरखा जीविका के लिए सिखाया जा रहा है तो उसका स्थान कनिष्ठ हो जायेगा, जब वह दूसरे धन्धों जैसा ही, एक धन्धा बन जाता है। और उस हालत में उसकी तालीम न दी जाए तो भी काम चल सकता है। मुझे एक अनाथाश्रम में ले जाया गया था। वहां मुझे बताया गया कि वे लोग कताई का काम भी शुरू करने का इरादा रखते हैं। मैंने कहा कि आप से यह न होगा। क्योंकि आप तो अनेक उद्योग सिखाने के इच्छुक हैं। मैं इस मनोवृत्ति को व्यभिचार मानता हूं। हमारे जीवन में से एकनिष्ठता विदा हो गयी है। सच्चा ब्रह्मचारी तो वही है जो एकनिष्ठ हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। आप यदि चरखे को स्थान देना ही चाहते हैं तो उसका स्थान निराला ही होना चाहिए। हमारी राष्ट्रीय संस्थाओं की विशेषता यह होनी चाहिए कि हम चरखा चलाने को महायज्ञ मानें और जिस प्रकार महायज्ञ की तैयारी करते हैं,उसी तरह इसकी भी तैयारी करें।

चरखे के प्रचार के लिए अंग्रेजी के ज्ञान की आवश्यकता कहां पड़ती है, चरखे को 'गीता' से कितना समर्थन मिलता है, बढ़ई और लुहार का काम सीख लेने पर चरखे में कितना सुधार किया जा सकता है— इन सब बातों पर आपको विचार करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि हमारे यहां आज एक भी ऐसी संस्था नहीं है, जिसमें हमारी जरूरत के योग्य तकुए पर्याप्त संख्या में मिल सकते हों। एक भी संस्था में चरखे का अध्ययन शास्त्रीय पद्धति से नहीं किया जा रहा है। आप यह विशेषता प्राप्त कीजिए। आपका कारीगर यह सोचे कि वह आदर्श चरखा कैसे बना सकता है। उसे आदर्श चरखे के पहिए की परिधि, वजन, रफ्तार, चमरखों की स्थिति इत्यादि बातें पूर्ण रूप से जानने का प्रयत्न करना चाहिए। आपका बढ़ई अच्छे किवाड़ या सन्दूक बनाने की बात न सोचे; उसे तो अच्छे से अच्छे चरखे बनाने का इरादा रखना चाहिए। आपके अध्ययन का केन्द्र चरखा ही हो। आप चरखे को धार्मिक और पारमार्थिक दृष्टि से देखें, इसके शास्त्र को जानकर इसका प्रचार करने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि आप लोग यहां समाज के सेवक बनने की तैयारी कर रहे हैं। *(नवजीवन, 20-2-1927)*

युग-धर्म का संदेश

❑ काका कालेलकर

आज का युग-धर्म त्रिविध क्रांति का है। ब्राह्मण आदि उच्च वर्णियों को भी वह कहेगी कि ''सामाजिक न्याय के लिए अब तैयार हो जाओ। उच्चता का ख्याल छोड़ दो। रोटी-बेटी व्यवहार के कड़े बंधन बनाकर तुमने समाज के जो टुकड़े बना दिये हैं–उस अधर्म को पहचानो और किया हुआ अपनी खुशी से सुधार दो। ज्ञान का ठीका तुमने अपने हाथ में रखा था, सो तो तुम्हारे हाथ में नहीं रहा। अब मुफ्त की सेवा लेने का लोभ छोड़कर सेवा करना सीख लो। और समाज के साथ एकरूप हो जाओ।''

सीलोन (लंका) की सारी यात्रा हमने महात्माजी के साथ, रेलवे और मोटर के द्वारा की। सारा प्रबंध श्री राजाजी का सोचा हुआ था। कहीं भी, तनिक भी कमी नहीं थी। एक दिन सुबह हम प्रार्थना और नाश्ता पूरा करके पैदल निकले। आनन्द के लिए चन्द मील चलने के बाद, पीछे से आने वाली मोटर में बैठने का सोचा था।

महात्माजी कहने लगे : ''यह सब रेल और मोटर की मुसाफिरी मुझे तनिक भी भाती नहीं। स्वराज्य पाने के लिए यह सब जल्दबाजी करनी पड़ती है। नहीं तो मैं सारा हिन्दुस्तान पैदल ही घूमता। और रोज रात को किसी न किसी गरीब की झोपड़ी में रहता। मुझे तो बने हुए रास्ते पर चलना भी इतना अच्छा नहीं लगता। पहाड़ हो, घाटी हो, चढ़ें, उतरें, उसमें जो मजा आता है, वह कुछ और ही है।''

उड़ीसा में एक दफा उन्होंने यही बात दुहरायी थी। कहने लगे : ''मैं स्वभाव का किसान हूं। धरतीमाता का जब प्रत्यक्ष स्पर्श होता है, तब उसका आनन्द कुछ और होता है।''

दक्षिण में एक दफा जब हम डॉ. राजन के मेहमान थे, तब सुबह सब घूमने निकले। डॉ. राजन को नंगे पैर चलते देखकर बापूजी ने कहा : ''सच्चा चलना तो यही है। हमने जूते पहन-पहनकर अपने पांवों को नाजुक बना दिया है।''

एक बार बापूजी ने, उसी उड़ीसा में पैदल यात्रा शुरू भी की थी और बारिश आते तक उसे चलाया।

स्वराज्य तो हो गया। अब उतावली नहीं है। तो भी हम सब लोग मोटरें, रेल और हवाई जहाज की मुसाफिरी करने लगे हैं। हममें श्री विनोबाजी ही एक ऐसे निकले, जिन्होंने पैदल यात्रा का सिलसिला फिर से शुरू किया। शिवरामपल्ली जाने तक पैदल यात्रा का ही खयाल था। उसके बाद मित्रों ने उनको तेलंगाना की यात्रा सुझायी। इसमें भी शायद ईश्वरी प्रेरणा ही होगी। क्योंकि वहां पर आतंकवादियों से प्रेमवाद की मुठभेड़ हुई और सर्वोदय क्रांति की नींव डाली गयी।

एक तर्कवादी मित्र ने कहा : ''क्या साम्यवादियों का आतंक यदि वहां इतना फैला हुआ न होता तो श्री विनोबा के कहने पर जमीन के मालिक अपनी जमीन गरीबों के लिए दान में दे देते? आतंक के बाद ही सर्वोदय का सिद्धांत पूंजीपतियों को और भूमिपतियों को ग्राह्य होता है। इसमें वही पुरानी कहावत चरितार्थ होती है कि 'जब हाथ से दूध का प्याला गिर ही रहा है, तब कृष्णार्पण' कहकर दान का पुण्य क्यों न कमा लें?''

हम मान लें कि टीकाकार की टीका सही है। तो भी उससे क्या सिद्ध होता है? वैद्य की खूबी यही है कि वह रोगी को रोग से मरने नहीं देता, किन्तु दवा लेने के लिए और परहेज रखने के लिए उसे राजी कर लेता है। जहां रोग नहीं है अथवा रोग का भान नहीं है, वहां वैद्य की बात कौन मानेगा?

तेलंगाना में साम्यवादियों का आतंक देखकर लोग पुलिस और फौज की मदद मांगने लगे थे। और कई लोग अपनी जरो-जमीन छोड़कर भागने लगे थे। श्री विनोबाजी ने उनको समझाया कि ''आपको लूटने वाले भी आपके भाई ही हैं या उनके प्रतिनिधि हैं। जमीन छोड़कर भागने और गरीबों का द्वेष मोल लेने की अपेक्षा प्रेम से जमीन दे दो। आतंक फैलाने वाले गुण्डों को नहीं, किन्तु सचमुच जो गरीब हैं, बेजमीन हैं, उन्हें दे दो और निर्भय होकर सबके बीच रहो। अपने ही देश में कहां तक भागोगे? और परदेश में कौन सी खैरियत है।''

जहाज पर, रेगिस्तान में, अकाल के दिनों में, और कभी-कभी रणभूमि पर भी, जब अन्न की कमी होती है, तब आदमी भूख का मारा मानवता को भूल जाता है और दूसरों को मारकर उनकी रोटी खा जाता है। *'बुभुक्षितः किं न करोति पापं क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति'* —भूखा आदमी कौन-सा पाप नहीं करेगा? कमजोर लोग दयाहीन बनते हैं। यह है सनातन कानून।

इस कानून में अब थोड़ी-सी तब्दीली हुई है। नये विचारक पूछने लगे हैं : ''जो भूखा है, वह भूख का मारा जो कुछ भी करे, उसे हम 'पाप' क्यों कहें? मानवता ने और धर्मशास्त्र ने जो पाप-पुण्य बताये हैं, वे अलग हैं। और सम्पत्ति अपने पास रखने के लिए धनवानों ने जो कृत्रिम पाप-पुण्य बताये हैं, वे अलग हैं। पशु-पक्षी जहां जो मिला सो खाते हैं, उन्हें कौन-सा पाप लगता हैं। पशु-पक्षी जहां जो मिला सो खाते हैं, उन्हें कौन-सा पाप लगता है?—*सबै भूमि गोपाल की, इसमें अटक कहां? जाके दिल में अटक है, सो ही अटक रहा।।*''

जब तक गरीब लोग इतने गरीब नहीं होते हैं कि उन्हें पेट के लिए रोटी और पीठ के लिए कपड़ा न मिलता हो, तब तक वे धनी लोगों के धन की ज्यादा असूया नहीं करते। संतोष से रहते हैं। जब तक उनको अनुभव हो कि आफत आने पर ये धनी लोग मानवता का खयाल करके सबको सहायता देने के लिए तैयार हैं, वे मान लेते थे कि धनी लोगों की लक्ष्मी समाज के लिए आशीर्वादरूप है। (इसी को गांधीजी ट्रस्टीशिप कहते हैं।)

लेकिन जब धनी लोग स्वार्थी, धन-परायण, निर्दय और अदूर-दृष्टि बनते हैं, तब सज्जन भी उनके जीवन को धिक्कारते हैं और उसे शापित बताते हैं।

श्री विनोबाजी ने लोगों के सामने यह सनातन सत्य रखा कि एक आदमी भूखा रहे और दूसरा आवश्यकता से अधिक अपने पास रख बैठे, यह स्थिति असह्य है। आइंदा वह चलने वाली नहीं है, क्योंकि वह मानवता की द्रोही है। सबको जमीन मिलनी चाहिए, सबको रोजी मिलनी चाहिए और सबको मानवता का सामाजिक प्रेम मिलना चाहिए। विश्व-कुटुम्ब-भाव और विश्व-वात्सल्य से ही समाज अच्छी तरह चलेगा।

अगर यह नहीं हुआ तो जाग्रत लोकमत के अनुसार कानून बनाकर सबकी आवश्यकताएं पूर्ण करनी होंगी। (राशनिंग के पीछे यही सिद्धांत है। इसका दुरुपयोग चाहे जितना होता हो।) *अगर करुणा सूख गयी, कानून गफलत में आकर सो गया या धनी लोगों का पक्षपाती बना, तो कुदरत का तीसरा भीषण कानून आप ही आप प्रकट होगा।*

जिस तरह रेडिया की खबरें आप ही आप हवा से फैलती हैं, उसी तरह यह युग-धर्म भी आप ही आप फैलने वाला है। देश के कोने-कोने तक चीन देश का किस्सा लोगों ने सुन लिया है। च्यांग् काई शेक् जैसा कुशल सेनानी और आला दर्जे का राष्ट्र-पुरुष अमरीका जैसे समर्थ और सम्पन्न देश का सहारा पाकर भी, युग-धर्म को रोक न सका। वहां सामाजिक, आर्थिक और वांशिक न्याय का उदय होते ही चीन का कायापलट हो गया।

रशिया और चीन को जितनी हिंसा करनी पड़ी, उतनी भगवान करे, हिन्दुस्तान में देखने की नौबत न आये। इसका अर्थ यह नहीं कि यहां के धनपति सब सत्पुरुष है। किन्तु यहां के लोग इतने धनलोलुप नहीं हैं कि जान का खतरा उठाकर भी युग-धर्म का वे विरोध करेंगे। अमरीका की प्रजा जैसी ऐश-आराम की आदी बन गयी है, ऐसे हमारे लोग नहीं हैं। सही सलामत रहकर अगर ऐश-आराम मिला तो कोई छोड़ेगा नहीं, किन्तु औरों की सीधी हिंसा करके और अपनी जान जोखिम में डालकर, न्याय का विरोध करने की आसुरी वृत्ति हमारे लोगों में जमी नहीं है।

इसीलिए श्री विनोबाजी की बात चंद लोगों को जंचने लगी है, अधिक लोगों को जंचने लगेगी। और फिर सबको जंचने तक राह देखनी नहीं पड़ेगी। जाग्रत लोकमत युग-धर्म के अनुसार कानून बना देगा।

अहिंसक क्रांति ने अंग्रेजों को नोटिस दी। वे इस देश को छोड़ गये। अहिंसक क्रांति ने देशी राजाओं को नोटिस दी। उन्होंने अपने सिर पर से मुकुट उतारकर प्रजा के चरणों में धर दिया। अब अहिंसक-क्रांति जमींदारों से कहती है कि ''भूमि सबकी माता है। उसका दूध हरएक श्रमिक को मिलना चाहिए।'' इस नोटिस का भी स्वीकार अब हो रहा है। हम यह न समझें कि क्रांति यहीं रुक जायेगी। पूंजीपतियों को भी वह नोटिस देगी कि ''अपने पास जो कुछ भी है, सबके लिए दे दो। खुशी से दो, कल्याण होगा। कानून को समझकर दो, सलामती रहेगी। नहीं तो—'' हिन्दुस्तान के लिए 'नहीं तो' है नहीं।

इस तरह आर्थिक न्याय की स्थापना होगी।

आज का युग-धर्म त्रिविध क्रांति का है। ब्राह्मण आदि उच्च वर्णियों को भी वह कहेगी कि ''सामाजिक न्याय के लिए अब तैयार हो जाओ। उच्चता का ख्याल छोड़ दो। रोटी-बेटी व्यवहार के कड़े बंधन बनाकर तुमने समाज के जो टुकड़े बना दिये हैं—उस अधर्म को पहचानो और किया हुआ अपनी खुशी से सुधार दो। ज्ञान का ठीका तुमने अपने हाथ में रखा था, सो तो तुम्हारे हाथ में नहीं रहा। अब मुफ्त की सेवा लेने का लोभ छोड़कर सेवा करना सीख लो। और समाज के साथ एकरूप हो जाओ।''

अहिंसक क्रांति सारी दुनिया को नोटिस देगी कि आज तक वंश-भेद ने अफ्रीका जैसे मानव-खंड परजो सिमत गुजारा है, उसे भी अब खत्म करना चाहिए। वांशिक न्याय के बिना क्रांति खत्म नहीं होगी।

अहिंसक क्रांति मानव-जाति को और भी एक नोटिस देगी कि मानवता के लिए प्रजोत्पत्ति का हिसाब रखो। अन्नोत्पत्ति और प्रजोत्पत्ति का प्रमाण संभाल लेना, यही है मानवता का लक्षण।

अहिंसक क्रांति ऐसी नोटिस किसी अखबार के जरिये या किसी विधान संसद के जरिये नहीं देती है। वह तो अपने अधिकारी पुरुषों की वाणी से ही देती है। श्री विनोबा की बात लोग इसलिए मानने को तैयार हुए कि उनके पीछे गांधीजी के सत्य, अहिंसा आदि व्रतों की तपस्या है। भूमि-दान की मांग वे इसीलिए कर सके कि उन्होंने अपरिग्रह-व्रत यहां तक बढ़ाया कि श्रम और श्रमदान से ही वे अपनी सारी प्रवृत्ति चला रहे हैं। पैसों की माया कलियुग की माता है, यह देखकर ही हमारे धर्मपुरुषों ने यतियों के लिए नियम किया था :—

'द्रव्यं तु मुद्रितं स्पृष्ट्वा त्रिरात्रेण शुचिर्भवेत्।'

—जिस पर राज की मुहर है, ऐसे मुद्रित द्रव्य को छूने से जो पाप लगता है, वह तो तीन दिन-रात के उपवास से ही धुल सकता है। *(जुलाई, 1951)* ❑

नेहरू-पटेल-लोहिया : त्रिभुज चिन्ताएं

❑ **वीरेन्द्र कुमार बरनवाल**

''हम लोग महज सरकार बनकर रह गये हैं। जनमत से हम तेजी से कटते जा रहे हैं। इसकी चरम सीमा कलकत्ता में दिख रही है। पर दिल्ली भी बेहतर नहीं है। यहां कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं बच पायी है। किसी प्रभावशाली नेता के बिना यहां कांग्रेस एक साधारण सभा भी करने से डरती है। अगर हम इन हकीकतों से दो चार नहीं होते तो हम बिलकुल अलग-थलग पड़ जायेंगे।'' यह आज की बात नहीं है। आजादी के दो साल बाद का वर्णन है! पत्र लिख रहे हैं नेहरूजी सरदार पटेल को और प्रसंग है राममनोहर लोहियाजी का। इन दोनों के बीच हुआ पत्र-व्यवहार बताता है कि शीर्ष नेतृत्व के बीच उभरे मतभेद संगठन और देश तक को किस तरह प्रभावित करते हैं। **–सं.**

सन् 1936। अखिल भारतीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें कांग्रेस के अंतर्गत एक विदेश-विभाग गठित करने का उनका प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया था। नेहरूजी तरुण राममनोहर की प्रतिभा, विद्वता, समझ, देश की स्वतंत्रता और उससे जुड़े मूल्यों तथा आदर्शों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से परिचित थे और इसके प्रशंसक थे। कुछ समय पहले लोहियाजी बर्लिन से 'डॉक्ट्रेट' की उपाधि प्राप्त कर लौटे थे। अखबारों में पश्चिम के देशों में राजनीतिक हलचल और उथल-पुथल विषयक उनके गंभीर लेख नेहरू ने देखे थे। उनके पैने विश्लेषण से वे प्रभावित थे।

लोहियाजी राजनीति में उन नायाब लोगों में से थे, जिन्हें अंग्रेजी के अलावा योरोप की दो और समृद्ध भाषाओं फ्रेंच और जर्मन का बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने राजनीतिशास्त्र का अपना शोध-प्रबंध जर्मन में ही लिखा था। उस दौर में गंभीर राजनीतिक और वैचारिक विमर्श अंग्रेजी के बजाय जर्मन और फ्रेंच में चला करते थे। लोहियाजी इस सबसे परिचित थे। नेहरूजी ने अधिवेशन में जब उन्हें कांग्रेस से नवगठित विदेश-विभाग का सचिव बनाना चाहा तो उससे सभी कांग्रेस-जन सहर्ष सहमत हो गये। उनके नाम के अपने प्रस्ताव में नेहरूजी ने उन्हें हिन्दुस्तान के 'राजनीतिक आकाश' का 'नवोदित नक्षत्र' कहा था। लोहियाजी ने इस पद के प्रति अनिच्छा व्यक्त की थी पर आचार्य नरेन्द्रदेव के समझाने पर वे सहमत हो गये थे।

आजादी की लड़ाई के दौरान नेहरूजी की निर्भीक संघर्षशीलता और बौद्धिक प्रखरता से प्रभावित लोहियाजी उनके प्रति बहुत गहरा आत्मीय भाव रखते थे। आजादी के बाद पली-बढ़ी पीढ़ी की स्मृति में लोहियाजी का तीखा नेहरू विरोध है। उसे शायद ही इन दोनों के बीच आत्मीय संबंधों की इस ऊष्मा का भान हो। पिछली सदी के साठ के दशक के प्रारम्भ में लोहियाजी द्वारा नेहरूजी की तीखी आलोचना से क्षुब्ध सांसद शिब्बनलाल सक्सेना ने लोहिया के लिखे अपने एक चर्चित पत्र में उन्हें याद दिलाया था कि जब लोहियाजी हिटलर के जर्मनी से लौटे थे, तब नेहरू उनके देवता थे और वे उनके पुजारी। उस समय छात्रों में लोकप्रिय अंग्रेजी साप्ताहिक 'लिंक' में छपे इस पत्र से एक बड़े युवा-वर्ग को नेहरूजी और लोहियाजी के बीच आजादी के पहले के आत्मीय संबंध का अचरज-भरा संकेत मिला था। कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा के प्रचार-प्रसार के लिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना सन् 1934 में नेहरूजी और सुभाष की सहमति से हुई थी। पर ये दोनों दिग्गज उसके सदस्य स्वयं नहीं बने थे। इनके (खासकर नेहरूजी के) साथ समाजवादियों के संबंध स्वाभाविक रूप से प्रगाढ़ रहे। समाजवादी विचारधारा से असहमत बड़े नेताओं में सरदार वल्लभभाई पटेल, राजगोपालाचारी, राजेन्द्र प्रसाद और गोविन्दवल्लभ पंत प्रमुख थे। 30 जनवरी, 1948 को गांधीजी की हत्या के बाद पटेल और पंत की पहल पर कांग्रेस ने दोहरी सदस्यता के विरुद्ध निर्णय लिया। नतीजतन उसके अंतर्गत समाजवादी विचारधारा से प्रतिबद्ध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का अस्तित्व अब संभव नहीं रहा।

कांग्रेस के इस नीतिगत निर्णय के कारण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक नेताओं—आचार्य नरेन्द्रदेव, जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, अरुणा आसफ अली, एस. एम. जोशी, एन. जी. गोरे, यूसुफ मेहर अली, मीनू मसानी और फरीदुल हक अंसारी आदि ने अपने समर्थकों और अनुयायियों के साथ मार्च, 1948 में कांग्रेस छोड़ दी। यहीं से लोहियाजी की नेहरू से मोहभंग की प्रक्रिया शुरू हुई। सन् 1950 में पटेल के देहात और 1952 के पहले आम चुनाव के बाद लोहियाजी द्वारा नेहरूजी की आलोचना में तल्खी आने की शुरुआत हो चली थी। यह तल्खी आगे बढ़ती चली गयी।

लोहियाजी ने चाहे नेहरूजी की कितनी ही तल्ख आलोचना की हो, पर नेहरूजी द्वारा उनकी तल्खी का जवाब तल्खी से देने के संकेत नहीं मिलते। मार्च, 1948 में समाजवादियों द्वारा कांग्रेस छोड़ने के बाद भी नेहरूजी के मन में उनके प्रति थोड़ा लगाव

बना रहा। शीर्षस्थ समाजवादियों में लोहियाजी सबसे कम उम्र के थे और सम्भवतः सबसे ज्यादा ऊर्जावान। जैसे ही हिन्दुस्तान को आजादी मिलना लगभग निश्चित-सा हो गया, वे जून 1946 में गोवा की मुक्ति आंदोलन के मुख्य सूत्रधार बन गये। 1948 के मध्य उन्होंने राजपूताना के छोटे-बड़े रजवाड़ों को एकीकृत कर देश के अन्य प्रांतों की तरह राजस्थान प्रांत के निर्माण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। वे राजस्थान आंदोलन समिति के अध्यक्ष चुन लिये गये थे। 1948-49 में वे नेपाल में राजाशाही के विरुद्ध संघर्षरत नेपाली कांग्रेस के समर्थन और सहयोग में पूरी प्रतिबद्धता से जुड़ गये थे। 'भारत छोड़ो' आंदोलन के दौरान 1942 में जब वे जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसफ अली के साथ भूमिगत रहकर हिन्दुस्तान में आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे; नेपाल की जागरूक जनता और नेताओं का उन्हें भरपूर सहयोग और समर्थन मिला था। अतः उस देश के संकट की घड़ी में वहां की जनता के साथ खड़ा होना वे अपना कर्तव्य मान रहे थे।

मई, 1949 के पहले सप्ताह में नेपाल कांग्रेस के लोकप्रिय नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला ने राणा शाही के अत्याचारों के विरुद्ध आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया था। अब नेपाली कांग्रेस के जनांदोलन के समर्थन में समाजवादियों का सक्रिय होना अपरिहार्य हो गया था।

नई दिल्ली के कनाट सरकस में लोहियाजी के नेतृत्व में एक विशाल जनसभा 25 मई, 1949 को आयोजित की गयी थी। इसकी अनुमति शासन से ले ली गयी थी। जनसभा समाप्त होने पर एक विराट जुलूस लोहियाजी की ही अगुवाई में बाराखंभा रोड स्थित नेपाली दूतावास की ओर ज्ञापन देने के लिए आगे बढ़ा। उसे यह कहकर रोकने की कोशिश की गयी कि इसके लिए शासन की अनुमति नहीं थी।

लेकिन जुलूस रुका नहीं। उस पर भारी मात्रा में आंसू गैस छोड़ी गयी और बेरहमी से लाठी चार्ज किया गया। जुलूस तितर-बितर हो गया। लोहियाजी समेत उसके कई नेता गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये। कुछ समय पूर्व ही आजाद हुए देश की नौकरशाही को लोहिया का राजनीतिक और राष्ट्रीय कद भलीभांति मालूम था। फिर भी देश की राजधानी में उनके और उनके साथियों के खिलाफ जो भी कठोर कार्यवाही की गयी, वह उस समय केन्द्र के गृहमंत्री और देश के शीर्षस्थ नेता सरदार वल्लभभाई पटेल की सहमति से ही की गयी थी।

लोहियाजी की गिरफ्तारी और सजा से सद्यः स्वतंत्र देश का एक बड़ा संवेदनशील जनमत क्षुब्ध था। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरूजी चाहते थे कि उन्हें जल्द-से जल्द रिहा कर दिया जाए। उन्हें जनमत की समझ बेहतर थी। लोहियाजी की रिहाई को लेकर नेहरूजी और पटेल के बीच जून और जुलाई, 1949 के दौरान पत्र-व्यवहार हुआ था। इन पत्रों से अभी-अभी स्वतंत्र हुए राष्ट्र की सरकार के दो शीर्षस्थ पदाधिकारियों और मूर्धन्य नेताओं के उनके अलग-अलग व्यक्तित्व के अनुरूप अलग-अलग सरोकारों, कार्यशैली और उनकी चिन्ताओं की झलक मिलती है।

लोहिया को गिरफ्तार कर उन्हें जेल में रखने के संबंध में नेहरूजी ने सरदार पटेल को पांच पत्र और पटेल ने पेहरूजी को चार पत्र लिखे थे। यह पत्र-व्यवहार 13 जून और 9 जुलाई, 1949 के बीच हुआ। पत्र-व्यवहार की शुरुआत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य जे. बी. कृपलानी के नेहरूजी को लिखे 11 जून, 1949 के पत्र से हुई। उसमें उन्होंने लोहियाजी के नेतृत्व में निकले जुलूस पर भारी पैमाने पर आंसू गैस छोड़े जाने और लाठी चार्ज के बाद लोहियाजी और उनके साथियों की गिरफ्तारी, उन पर मुकदमे जैसी कार्यवाहियों के संबंध में अपनी असहमति और चिन्ता दर्ज की थी। उन्होंने कहा था कि यों वे लोहियाजी के आचरण को सही नहीं ठहराते, पर अगर यह प्रतिष्ठा का प्रश्न न बन गया हो तो अब उनके खिलाफ चलाये गये मुकदमे वापस लेकर, उन्हें रिहा कर देना चाहिए।

नेहरूजी ने 13 जून को पटेल को लिखे अपने पत्र के साथ कृपलानीजी का पत्र संलग्न करते हुए लिखा था कि इस बारे में संविधान-सभा के कई चिन्तित सदस्यों ने भी उनसे बात की थी और पत्र भी लिखे थे। इन लोगों को लगता कि स्थिति से निपटने के लिए उठाये गये कदम जरूरत से ज्यादा कड़े थे। पत्र में नेहरूजी ने बताया था कि विदेशों में भी दूतावासों पर जुलूस में जाकर ज्ञापन या मांगपत्र देने की परम्परा है। वहां जब तक जुलूस हिंसा पर उतारु न हो, लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और अगर गिरफ्तार भी किया जाता है, तो उसी दिन या दूसरे दिन उन्हें छोड़ दिया जाता है। सामान्य स्थिति में पुलिस जुलूस को दूतावास से कुछ दूरी पर रोक देती है और उसके एक-दो प्रतिनिधियों को ज्ञापन या मांगपत्र देने की अनुमति दे देती है। कृपलानीजी के पत्र में यह साफ है कि चूंकि जुलूस लोहियाजी के नेतृत्व में निकला था, उसके हिंसक होने की आशंका नहीं थी। लोहियाजी के जुलूस को गलत और गैरजिम्मेदार मानते हुए भी नेहरूजी ने जरूरत से ज्यादा सख्त कार्यवाही के कारण सरकार की बदनामी का जिक्र करते हुए पटेल से पूरे मामले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया था।

अपने जवाब में 18 जून को लिखे लंबे पत्र में पटेल ने पूरे घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया। सूचित किया कि उस समय पूरी दिल्ली में पहले से धारा 144 लागू थी। समाजवादियां को सभा के लिए अनुमति दे दी गयी थी, पर जुलूस के लिए नहीं। फिर भी जुलूस निकाला गया। उसमें आपत्तिजनक प्लेकार्ड के साथ नेपाल में

आतंक, लूट आदि के आरोप वाले उत्तेजक नारे लगाये जा रहे थे। जुलूस में कई हजार लोग थे और शांति-भंग की पूरी आशंका थी। पुलिस द्वारा उस गैरकानूनी जुलूस को रोकने के प्रयत्न नाकामयाब होने पर आंसू गैस और लाठी-चार्ज का सहारा लेना पड़ा। पहले भी सिक्खों और कुछ दूसरे संगठनों को जुलूस की अनुमति नहीं दी गयी थी। ऐसी स्थिति में समाजवादियों को इसकी अनुमति भला कैसे दी जा सकती थी? पटेल ने पत्र में यह माना था कि मामले से कुछ कम सख्ती से भी निपटा जा सकता था। पत्र में आगे बताया गया है कि लोहियाजी के बयान के अनुसार वे कुछ लोगों के साथ सभा में पारित प्रस्ताव देने के लिए नेपाली दूतावास जाना चाहते थे। पर ऐसी उत्तेजित भीड़ के सदस्यों को इसकी अनुमति देना उचित नहीं समझा गया। उत्तेजना में यदि दूतावास में धक्का-मुक्की और मारपीट जैसी घटना हो जाती तो देश के कूटनीतिक हलकों पर इसका निहायत गलत असर पड़ता। पटेल का कहना था कि एक बार कानूनी कार्यवाही शुरू हो गयी थी तो फैसले की प्रतीक्षा करना चाहिए। फैसला आने पर नेहरूजी द्वारा बतायी गयी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसपर निर्णय उचित होगा। मुकदमे के दौरान जेल में लोहियाजी और उनके साथियों को बेहतर सुविधा के सुझाव पर पटेल ने लिखा कि जेल नियमों के तहत जो सुविधाएं और ढील संभव थी, वह उन्हें दी जा रही थी।

इस पत्र से पटेल की 'नो नॉनसेन्स' वाली एक सख्त प्रशासक की छवि उभरती है। वे सद्यः स्वतंत्र देश में अनुशासनहीनता, अराजकता और कानून के उल्लंघन को जरा भी बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं थे। सामान्यतया वे भावुकता से अछूते थे। उनके बरक्स नेहरूजी प्रकृति से भावुक थे। इस पत्र में दोनों के व्यक्तित्व के ये विशिष्ट पक्ष बखूबी उभरते हैं। जेल में लोहियाजी से मिलने नेहरूजी के प्रधानमंत्री—कार्यालय से उनके व्यक्तिगत सचिव ओ. मथाई, आचार्य कृपलानी और श्रीमती सुचेता कुपलानी पहुंचे थे। पटेल के अनुसार इससे लोगों को लगेगा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस विभाजित है। इससे लोहियाजी के प्रति सहानुभूति और बढ़ती है। अपने पत्र में पटेल ने यह बात खासतौर से रेखांकित की कि जनता में यह खबर थी कि मथाई आपकी ओर से या आपके प्रतिनिधि के रूप में लोहियाजी से मिले थे। इसने मामले को और बदतर बना दिया था।

पटेल का पत्र मिलते ही 19 जून को नेहरूजी ने तुरंत जवाब लिखा। उसमें लोहिया-प्रसंग को लेकर उनकी कई चिन्ताएं उभरती हैं। लोहियाजी को जेल में एक महीने से अधिक हो गये थे। राजनीति से जिसका जुड़ाव नहीं भी था, अब वे भी मिलकर चिन्ताएं और विरोध प्रकट कर रहे थे। दिन-प्रतिदिन लोहियाजी के प्रति सहानुभूति और सरकार के प्रति दुर्भाव बढ़ता जा रहा था। यह सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं रह गया था; विदेशों में भी इसका विरोध हो रहा था। इंग्लैंड और अमेरिका के अखबारों में सरकार के इस काम की निन्दा और आलोचना हो रही थी। 'न्यू स्टेट्समैन' में इस विषय पर छपे लेख की ओर नेहरूजी ने पटेल का ध्यान खासतौर से खींचा था। नेहरूजी को इसकी खास चिन्ता थी कि प्रजातंत्र के लिए प्रतिबद्ध उनकी सरकार को पुलिस-राज कहा जा रहा था। जहां तक पुलिस की बात है, उसकी निगाह और विचार किसी घटना और स्थिति के बारे में शायद ही कभी सही और संतुलित होते हों। वे एक राजनेता के विचार नहीं हो सकते—पटेल को लगभग अगाह करते नेहरूजी ने लिखा था।

कांग्रेस की अगुवाई में देश को आजादी मिले अभी दो साल भी नहीं हुए थे। इस बीच उसकी साख और लोकप्रियता में आश्चर्यजनक गिरावट आयी थी। संवेदनशील नेहरूजी ने लिखा था कि हम लोग महज सरकार बनकर रह गये हैं। जनमत से हम तेजी से कटते जा रहे हैं। इसकी चरम सीमा कलकत्ता में दिख रही है। पर दिल्ली बेहतर नहीं है। यहां कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं बच पायी है। किसी प्रभावशाली नेता के बिना यहां कांग्रेस एक साधारण सभा भी करने से डरती है। अगर हम इन हकीकतों से दो-चार नहीं होते तो बिलकुल अलग-थलग पड़ जायेंगे। अपने इस सरोकार में पटेल को शामिल करते हुए वे लिखते हैं : ''कांग्रेस की दुनिया में चारों ओर से जो कुछ हो रहा है, उससे उन्हें गहरी चिन्ता है। कांग्रेस समाज के बहुत से जानदार वर्गों से लगातार दूर होती जा रही है। हमारे पास नौजवान बमुश्किल रह गये हैं। हमारे साथ जो हैं, वे या तो अतीत के अवशेष-भर बच गये हैं या ऐसे लोग हैं जो जनता के विचारों को प्रभावित करने में नितांत अक्षम हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, जनता की भावनाएं जिनके खिलाफ हैं।''

अपने ये चिन्ताएं जब वे पटेल को बता रहे थे तो लोहिया-प्रसंग के अलावा देश और सत्तारूढ़ संगठन से जुड़े कितने ही व्यक्त और अव्यक्त सवाल उनके दिलो-दिमाग पर दस्तक दे रहे थे। उन्हें उसका पूरी शिद्दत के साथ एहसास था कि कांग्रेस की दूसरी और नई पीढ़ी के नेता और कार्यकर्ता समाजवादियों के साथ जुड़े थे। अगस्त, 1942 में गांधीजी के 'भारत छोड़ो आंदोलन' के तुरंत बाद कांग्रेस के सभी वरिष्ठ और प्रथम पंक्ति के नेता जब गिरफ्तार कर लिये गये थे तो भूमिगत रहकर उसका संचालन कांग्रेस की इस दूसरी पीढ़ी के तरुण-तेजस्वी समाजवादी नेताओं और उनके प्रतिबद्ध अनुयायियों ने ही किया था। इस नये रक्त से यदि कांग्रेस आज वंचित थी, तो उसमें बड़ा हाथ पटेल का भी था; जिनकी पहल पर पारित प्रस्ताव के कारण समाजवादियों को कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी। ऐसा लगता है कि इस पत्र में कहीं पटेल के प्रति नेहरूजी का उलाहने का भी भाव है। नेपाल में व्याप्त जिस स्थिति के सक्रिय प्रतिरोध के कारण

लोहियाजी जेल में थे, उस पर नेहरू अपनी पैनी नजर बनाये हुए थे। उन्होंने वहां शीघ्र ही भारी उथल-पुथल की तीव्र आशंका भी अपने पत्र में व्यक्त की थी।

लोहियाजी से जेल में अपने सचिव मथाई के मिलने की बात पर पटेल की शिकायत के निराकरण की कोशिश करते हुए नेहरूजी ने लिखा था कि मथाई उनके प्रतिनिधि के रूप में नहीं गये। मिलने जाने की सूचना उन्होंने जरूर दी थी। और वे मथाई की इस स्वतंत्रता में बाधक होना उचित नहीं समझते थे। उन्होंने यह भी लिखा कि मथाई के मिलने का परिणाम बहुत अच्छा रहा। उससे यह लगा कि हमने बतौर सरकार कानून-व्यवस्था भंग करने के कारण कार्यवाही की। उसके पीछे कोई व्यक्तिगत दुर्भाव नहीं था। नेहरूजी ने यहां एक और बात का जिक्र किया है। पत्र में वे बताते हैं कि इंदु (इंदिरा गांधी) भी लोहियाजी से मिलने जाना चाहती थी। पर वह जा नहीं सकी। यदि वह जाती तो वे उसे भी रोक नहीं सकते थे।

अभी लोहियाजी के मन में नेहरूजी के प्रति कटुता पैदा नहीं हुई थी। उस स्वतंत्र देश की जेल का, जिसे परतंत्रता से मुक्त कराने में उन्होंने खून-पसीना बहाया था और कितनी ही दारुण यातनाएं सही थीं, लोहियाजी और उनके साथियों का यह पहला अनुभव था। जब नेहरूजी के निजी सचिव मथाई जेल में उनसे मिले होंगे तथा इंदिराजी के उनसे मिलने के विचार का उन्हें पता चला होगा तो लोहियाजी को संभवतः वह समय याद आया होगा, जब वे नेहरूजी के स्नेहभाजन होते थे। उन्हें नेहरू आनंदभवन का वह आथित्य भी याद आया होगा, जब नेहरूजी स्वयं उनके लिए साफ तौलिए, गरम पानी और मच्छरदानी जैसी छोटी-छोटी सुविधाओं का स्वयं ध्यान रखा करते थे। लोहियाजी की रिहाई को लेकर नेहरूजी की चिन्ता भी मात्र अपनी सरकार की देश-विदेश में बिगड़ती छवि की ही सामान्य चिन्ता नहीं थी। उसके पीछे, लगता है कहीं न कहीं उनके संवेदनशील मन में उठता यह भाव भी था कि अभी-अभी स्वतंत्र देश की जेल में खुद उनकी सरकार द्वारा बंद यह तेजस्वी, अधीर तरुण कभी उनका विश्वस्त स्नेह पात्र था। उसकी कुर्बानी देश के लिए कुछ कम नहीं थी। अन्यथा नेहरूजी इस प्रसंग में अपने प्रयास को एक नहीं, बल्कि पांच पत्रों द्वारा अंततः लोहियाजी की रिहाई तक इतनी शिद्दत से जारी न रख पाते।

19 जून के नेहरूजी के पत्र का एक संक्षिप्त जवाब पटेल ने 21 जून को देहरादून से दिया था। उन्होंने सुझाव दिया था कि अगले सप्ताह जब नेहरू देहरादून आयेंगे तो आपस में बातचीत कर इस मामले में अपने दृष्टिकोण तय कर लेंगे। पर नेहरूजी ने अगले सप्ताह की प्रतीक्षा किये बिना पटेल को 21 जून को ही तीसरा पत्र लिखा। इसके पीछे एक और कारण था। उन्हें विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि सोशलिस्ट पार्टी कम्युनिस्टों के प्रभाव और गतिविधियों से काफी चिन्तित थी। वह उनसे निपटने में सरकार को सहयोग देने और राहत कार्यों में हाथ बंटाने के लिए अपनी शक्ति लगाने को तैयार थी। पार्टी का बड़ा वर्ग लोहियाजी के कार्यकलाप को पसंद नहीं करता था। यह बात लोहियाजी को बता भी दी गयी थी। पर एक दल के रूप में, इस असहमति को जाहिर करना संभव नहीं था। 26 जून को लोहियाजी के सहयोगियों द्वारा लोहिया दिवस मनाये जाने के कार्यक्रम की सूचना भी नेहरू ने पटेल को देते हुए लिखा कि इसमें शक नहीं कि इस समय लोगों की निगाह में लोहियाजी का भाव बहुत ऊंचा है। पर यदि मुकदमे खत्म कर दिये जाते हैं तो वह निश्चित ही नीचे आयेगा। नेहरूजी को पता चला था कि लोहियाजी और उनके साथियों द्वारा और आगे अपना बचाव न करने के निर्णय के आधार पर मुकदमा जितना ही जल्द वापस ले लिया जाये उतना ही बेहतर होगा। इस अध्याय के बंद होने से तनाव काफी कुछ कम हो सकेगा।

उक्त पत्र के बाद पटेल और नेहरूजी देहरादून में मिले थे। पर कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों पर बातचीत चलती रही और लोहियाजी के मसले पर किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका। लेकिन दिल्ली पहुंचते ही नेहरूजी ने पटेल को अपना चौथा पत्र 29 जून को लिखा। इसमें एम. एस. गोलवलकर और मास्टर तारासिंह की रिहाई और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर से प्रतिबंध हटाने पर सहमति की संक्षिप्त बातचीत के बाद लोहिया-प्रसंग पर फिर विस्तृत चर्चा है।

नेहरूजी ने लिखा है कि चूंकि मुकदमे की कार्यवाही अब पूरी हो चुकी है और एक महीने से ज्यादा जेल की सजा लोहियाजी और उनके साथी भुगत चुके हैं, सरकार को सामान्य नीति और इस मामले की खासियत को ध्यान में रखते उन्हें अब रिहा कर देना चाहिए। जिसके लिए उन्हें जेल में रखा गया है, वह निहायत छोटी-सी बात थी और उसको इतनी गंभीरता से लेना वाजिब नहीं था। उन्हें ज्यादा-से-ज्यादा सात हफ्ते तथा जुर्माना न अदा करने की हालत में थोड़े और वक्त के लिए जेल में रखा जा सकत है। उन्हें सजा पूरी होने तक जेल में रखने का कोई फायदा नहीं है। उससे कटुता बढ़ेगी और लगेगा कि हम बदले की भावना से काम कर रहे हैं। जो लोग लोहियाजी के साथ जेल में हैं, उनमें से कुछ तो यों ही फंस गये हैं। वे लोग इस सभा में भाग लेने बाहर से आए थे। उन्हें किसी जुलूस या सत्याग्रह जैसी चीज का पता नहीं था। लोहियाजी के सुझाव पर वे उसमें शामिल होकर इस मुसीबत में फंस गये थे।

पत्र में आगे नेहरूजी बताते हैं कि 'एक विश्व-आंदोलन' का सम्मेलन अगस्त में स्टॉकहोम में होने जा रहा है। लोहियाजी को उसकी भारतीय शाखा का उसमें प्रतिनिधित्व करना है। लोहियाजी को इसके लिए जुलाई में रवाना हो जाना चाहिए। अगर मामला और आगे घिसटता है तो लोहियाजी को उस समय जेल में ही रहना पड़ेगा। इस तरह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व नहीं हो पायेगा। यह एक गलत बात होगी।

लोहियाजी के लिए भी यह विदेश यात्रा अच्छी रहेगी। 'एक विश्व-आंदोलन' नेहरूजी के अनुसार ब्रिटेन के कुछ आदर्शवादी, अव्यावहारिक और थोड़े-से खब्ती पर सदाशय सांसदों तथा उनसे सहमत लोगों द्वारा संचालित आंदोलन था। उसकी अव्यावहारिकता के कारण उन्होंने उससे स्वयं औपचारिक रूप से जुड़ने से मना कर दिया था। अंत में नेहरूजी ने सुझाव दिया था कि लोहियाजी और उनके साथियों को बाकी सजा माफ करते हुए उन्हें तुरंत रिहा कर देना चाहिए। पत्र के साथ नेहरूजी ने रिहाई के आदेश के साथ जारी करने के लिए एक प्रेस-विज्ञप्ति का प्रारूप भी भेज दिया था।

नेहरूजी के पत्र के उत्तर में पटेल ने 30 जून को देहरादून से ही लिखे अपने तीसरे पत्र में कई अन्य समस्याओं का जिक्र करते हुए बताया था कि कुछ दिनों पहले सोशलिस्ट अशोक मेहता ने चन्द्रलेखा (नेहरूजी की बहन विजयलक्ष्मी पंडित की दूसरी बेटी और अंग्रेजी-लेखिका नयनतारा सहगल की छोटी बहन) के बारे में 'ब्लिट्ज' में निहायत भद्दा लेख लिखा था। नेहरू को आगाह करते हुए उन्होंने कहा था कि सोशलिस्टों की यह भीड़ नेहरू की सहानुभूति की सही हकदार नहीं थी। आपने जीवन-भर उनका ध्यान रखा और उन्हें प्रश्रय दिया। पर हमारे बारंबार प्रयासों के बावजूद उनमें ठीक आचरण और उत्तरदायी व्यवहार का अभाव ही मिला। फिर भी नेहरूजी को आश्वस्त करते हुए पटेल ने लिखा था कि निर्णय लेते समय वे उनके विचारों का पूरा ध्यान रखेंगे।

पटेल के 30 जून के पत्र का उत्तर नेहरूजी ने उसी दिन दिया। उसमें देश की भयावह खाद्य समस्या, नागरिक आपूर्ति-विभाग के विरुद्ध समूचे देश, खासकर कलकत्ता में व्याप्त भीषण असंतोष और आक्रोश, विभाग के केन्द्रीय मंत्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी से विचार-विमर्श तथा कलकत्ते के उनके प्रस्तावित दौरे का जिक्र है। साथ ही कांग्रेस की गिरती साख और बिहार के प्रशासनिक मसले की चर्चा भी। लेकिन इस पत्र का आधा हिस्सा फिर से लोहिया-प्रसंग पर केन्द्रित है। नेहरूजी इसमें पटेल से सहमति दर्ज करते हुए स्वयं भी सोशलिस्टों में उत्तरदायित्व और रचनात्मक दृष्टिकोण के आश्चर्यजनक अभाव पर चिन्ता व्यक्त करते हैं। उन्हें लग रहा था कि सभी सोशलिस्ट हताश थे और मानसिक रूप से टूट रहे थे। वे लिखते हैं, जब उन्होंने लोहियाजी और उनके साथियों को जेल में रखे जाने के बारे में लिखा था तो उन्होंने ऐसा हिन्दुस्तान की वस्तुस्थिति में उनके महत्त्व को ध्यान रखकर नहीं किया था। ''और न तो कुछ खास व्यक्तियों के साथ किसी खास बरताव की बात मेरी निगाह में थी। मैं दरअसल एक व्यापक दृष्टि से इन विषयों पर हमारी नीतियां क्या हों, इस पर सोचता रहा हूं। मेरे विचार से उसमें कुछ संशोधन के बारे में सोचना ठीक रहेगा। इसी कारण मैंने कुछ प्रमुख लोगों को रिहा करने के आपके सुझाव का स्वागत किया था।''

नेहरूजी ने आगे फिर दुहराया कि एक छोटे-से अपराध के लिए लोहियाजी को दी गयी सजा से हमारी नीति और उसके विरुद्ध प्रतिक्रियाएं हमारे खिलाफ जा रही हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आज तीसरे पहर मैं एक जाने-माने अमेरिकी पत्रकार से मिला जो दिल्ली से गुजर रहे थे और जिन्हें मेरे पास अमेरिकी राजदूत ने भेजा था। उन्होंने इतने सारे सोशलिस्टों को जेल भेजने पर अचम्भा जाहिर करते हुए यह जानना चाहा कि ऐसा क्यों किया गया। जैसा उस समय मेरी समझ में आया, मैंने उन्हें कुछ ठीकठाक जवाब दे दिया था। पर मैं यह जरूर महसूस करता हूं कि लोहियाजी और उनके साथियों को जेल में बने रहने देना हमारे लिए कतई अच्छा नहीं है। इससे हमारी प्रतिष्ठा देश में और देश के बाहर आहत हो रही है। उन्हें जल्द-से-जल्द रिहा करने का अच्छा असर पड़ेगा। पत्र के अंत में नेहरूजी एक बार फिर जोर देते हैं कि यह लोहियाजी और सोशलिस्टों की बात नहीं है, बल्कि इसका संबंध हमारे साधारण दृष्टिकोण और उसके प्रति जनता की प्रतिक्रिया से है।

नेहरूजी के पत्र के उत्तर में देहरादून से ही पटेल ने 9 जुलाई को फिर एक लंबा पत्र लिखा जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश की समस्याओं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के संबंध में विस्तृत चर्चा और चिन्ताएं हैं। उसमें एक छोटा-सा दिलचस्प पैराग्राफ लोहियाजी के बारे में है। उसमें पटेल ने लिखा है कि जैसा आपको यहां से रवाना होने की पहली वाली रात को मैंने बताया था कि लोहियाजी को रिहा करने का फैसला ले लिया गया है। आपने शायद हमारी विज्ञप्ति देख ली होगी। लोहियाजी रिहाई के तुरंत बाद पत्रकारों से मिल भी चुके हैं। पर लगता है, उन्होंने पूरे घटनाक्रम से कुछ सीखा नहीं। सब मिलाकर, उनमें कोई बदलाव नहीं दिखता। जो भी हो वे हमारे कम, अपनी पार्टी के ज्यादा सिरदर्द हैं।

लोहियाजी को लेकर सरदार पटेल और नेहरूजी के बीच में हुआ यह पत्र-व्यवहार नवजात स्वतंत्रता की अलग-अलग चिन्ताओं को रेखांकित करता है। लोहियाजी मात्र अपने देश की स्वतंत्रता और उसमें व्याप्त दमन, शोषण और असमानता के विरुद्ध संघर्ष से संतुष्ट रहने वाले नहीं थे। पृथ्वी पर जहां भी अंधकार की शक्तियां सक्रिय थीं; वे उन सबसे जूझने के संकल्प से दीप्त थे। पटेल अनेक भयावह समस्याओं से घिरे और जूझते देश में किसी भी प्रकार की अराजकता और अनुशासन में ढील को बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं थे। नेहरूजी संसदीय प्रजातंत्र की परम्पराओं के विकास और वैचारिक असहमति को पूरी जगह देने के साथ, जनमत और अंतर्राष्ट्रीय जगत में देश की छवि के प्रति पूरी तरह सजग, संवेदनशीलता और विलक्षण जुझारूपन के साथ मिलकर उनकी अधीर और एक हद तक अराजक आदर्शवादिता का किसी दल के सांचे-ढांचे में समा पाना हमेशा दुष्कर रहा। अतिकर्षण के कारण उनके धनुष की प्रत्यंचा अक्सर टूट जाती थी। ❑

13 फरवरी : सरोजनी नायडू-जयंती

कविता से राजनीति तक भारत-कोकिला

❑ बालेन्दुशेखर तिवारी

भारतीय राजनीति और भारतीय कविता के परस्पर विरोधी द्वीपों को एक दूसरे से जोड़ने वाले सेतुओं की संख्या बहुत अधिक नहीं है। ऐसे लोग बहुत कम हैं, जिन्होंने राजनीति के गंदले मैदान में भटकते हुए भी कविता के आंगन में झांकना छोड़ नहीं दिया है। ऐसी महिलाओं की संख्या तो और भी कम है, जिनकी उपस्थिति राजनीति और कविता के भारतीय परिदृश्य में एक साथ उपलब्ध है। राजनीति और कविता के शिखरों को एक साथ स्पर्श करने वाली सरोजनी नायडू का नाम अपने आप में किसी एवरेस्ट से कम नहीं है। उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी *'भारत कोकिला'* कहते थे और विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर उन्हें 'भारतीय नाइट इंगेल' मानते थे। उन्हें इकबाल ने 'हिन्दुस्तान की बुलबुल' कहा था। कालांतर में सारे देश ने सरोजनी नायडू को 'भारत कोकिला' मान लिया तो इसमें तनिक भी अस्वाभाविक नहीं था। राजनीतिक मंचों पर उनकी सुमधुर आवाज गर्जना में बदल जाती थी और कविताओं में इस कोकिला के सुर रहस्य के विलक्षण माधुर्य का अनुभव करते थे। सरोजनी नायडू ने अंग्रेजी की रोमांटिक कविताओं से अपनी गतिविधियों को प्रारम्भ किया था और स्वाधीनता संघर्ष की जोरदार ललकार में अपने जीवन का उत्कर्ष अर्जित किया।

सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी, 1879 के दिन ब्रह्मनगर में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और माता वरदा सुंदरी की आठ संतानों में सरोजनी सबसे बड़ी थीं। उनके जन्म से पहले ही पिता अघोरनाथ बंगाल से आंध्र चले गये थे। उन्होंने हैदराबाद में अपने अध्यापक जीवन को व्यवस्थित करने का निश्चय किया। बंगाल से हैदराबाद में आकर बसे अघोरनाथ चट्टोपाध्याय वहां हैदराबाद कॉलेज के संस्थापक प्राचार्य बने। यही हैदराबाद कॉलेज अब उस्मानिया विश्वविद्यालय बन गया है। हैदराबाद में ही सरोजनी के साथ छोटे भाई-बहनों का जन्म हुआ। उनके घर में एक साथ कई भाषाओं का व्यवहार होता था—बंगला, हिन्दी, तेलुगु और अंग्रेजी। इन सभी भाषाओं में सरोजनी की समान गति थी। प्रारंभ में उन्हें अंग्रेजी बोलने-लिखने में असुविधा होती थी। अंग्रेजी बोलने से इंकार करने पर पिता ने एक बार दिन भर के लिए कमरे में बंद कर दिया था। तब कौन जानता था कि अंग्रेजी से विरक्त किशोरी सरोजनी भविष्य में अंग्रेजी की प्रखर वक्ता और महत्त्वपूर्ण कवयित्री के रूप में स्थापित होगी।

उनकी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा चेन्नई में हुई थी। वहीं 17 वर्ष की सरोजनी का परिचय डॉ. नायडू से हुआ। वे विधुर थे और सरोजनी से दस साल बड़े भी थे। इसीलिए प्रारंभ में सरोजनी के पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय इन दोनों के विवाह के लिए सहमत नहीं हुए। उन्होंने 1896 में सरोजनी को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। वहां किंग्ज कॉलेज और कैम्ब्रिज में नामांकन के बावजूद सरोजनी बिना कोई उपाधि लिए 1898 में भारत लौट आयीं। स्वदेश लौटते ही उन्होंने डॉ. नायडू से विवाह कर लिया, जिनसे वे तीन वर्षों से प्रेम कर रही थी और जिन्हें पहली नजर में पिता ने अस्वीकृत कर दिया था। अब वे सरोजनी चट्टोपाध्याय से सरोजनी नायडू बन गयीं। इसके साथ ही उनके दाम्पत्य जीवन, राजनीतिक जीवन और साहित्यिक जीवन का एक साथ समारम्भ हुआ। उनके बड़े पुत्र जयसूर्य का जन्म 1901 में हुआ। फिर क्रमशः पद्मजा, रणधीर और लीलामणि का जन्म हुआ। उनकी बेटी पद्मजा नायडू स्वाधीन भारत में पश्चिम बंगाल की राज्यपाल भी बनी थीं। पारिवारिक दायित्वों के बीच सरोजनी नायडु ने बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में अपने राजनीतिक जीवन का प्रारम्भ किया। वे 1903 में राजनीतिक सभाओं में भाषण देने लगीं ओर 1905 में स्वदेशी आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय हो गयीं। राजनीतिक जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उन पर गोपाल कृष्ण गोखले का भरपूर प्रभाव था, क्योंकि 1902 में गोखले ने ही उन्हें देश सेवा की प्रेरणा दी थी। गोपाल कृष्ण गोखले का इतना व्यापक असर सरोजनी नायडू के चिन्तन और कार्य पर था कि 1915 में उन्होंने गोखले पर एक किताब भी लिखी। इस समय तक भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी आ गये थे और छा गये थे। पहली बार 1914 में महात्मा गांधी से सरोजनी नायडू मिलीं और इसके बार गांधीजी के राष्ट्रीय आंदोलन में उनका महत्त्व बढ़ता ही गया। उन्हें 1925 में अखिल भारतीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। वे इस पद पर प्रतिष्ठित होने वाली पहली महिला थीं। वे पूरे जोश के साथ कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में गरज रही थीं कि स्वाधीनता संघर्ष में भय एक अक्षम्य विश्वासघात है और निराशा एक अक्षम्य पाप है। कांग्रेस अध्यक्षा की भूमिका में सरोजनी नायडू ने अपनी प्रतिभा और क्षमता का भरपूर प्रदर्शन किया। स्वाधीनता संग्राम में वे लगातार सक्रिय रहीं। महात्मा गांधी ने 5 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक सत्याग्रह का आयोजन किया, तब ब्रिटिश सरकार के कानून के खिलाफ नमक बनाने में सरोजनी नायडू गांधीजी के साथ ही थीं। विदेशी सरकार ने कई बार उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन उनका देशप्रेम शिथिल नहीं हुआ। अंततः भारत स्वतंत्र हुआ और सरोजनी नायडू स्वाधीन भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की पहली राज्यपाल बनीं। आजादी के तुरत बाद महात्मा गांधी की हत्या हो गयी, जिससे सरोजनी नायडू बहुत-बहुत आहत

हुईं। दुःख और संताप से वे बीमार हो गयीं तथा सत्तर वर्ष की उम्र में 2 मार्च, 1949 की सुबह 3.30 बजे लखनऊ में भारत कोकिला हमेशा के लिए शांत हो गयी।

राजनेत्री सरोजनी नायडू का संपूर्ण जीवन एक ओजस्वी और जीवंत महिला का जीवन था। इन दिनों नारी विमर्श पर चर्चा और अनुसंधान करने वालों के लिए भी उनका जीवन एक विलक्षण प्रेरणास्रोत हैं। नारी जागरण और नारी मुक्ति के क्षेत्रों में सरोजनी नायडू ने बीसवीं शताब्दी से पूर्व ही अपनी कथनी और करनी से क्रांति उपस्थित की। कट्टर बंगाली ब्राह्मण परिवार की किशोरी सरोजनी ने अपने से अधिक उम्र के विधुर आंध्र युवक से प्रेम विवाह किया। उनके पिता इस विवाह के पक्ष में नहीं थे, लेकिन सरोजनी ने अपने विवाह से सामाजिक आदर्श की प्रस्तावनी 1898 में की। उन दिनों किसी युवती का राजनीतिक मंचों पर दिखायी देना प्रशंसनीय नजरों से नहीं देखा जाता था। लेकिन महिला जागरण की प्रतीक सरोजनी नायडु ने 24 वर्ष की उम्र से ही राजनीतिक सभाओं में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया था। बाद में वे अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1925 में बनीं। उन्होंने 1926 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की और इस मंच से नारी जागरण के अनेक भाषणों के प्रकाशित संग्रहों में नारी-विमर्श और नारियों के विकास के बारे में निरंतर चर्चा मिलती है। उनका यही चिन्तन और कार्य आज भी नारी जागरण के संदर्भ में प्रासंगिक और महत्त्वपूर्ण है।

भारत कोकिला सरोजनी नायडू का कोकिलापन उनकी कविताओं में एक नई शैली और नई आभा के साथ उजागर हुआ है। उन्हें राजनेत्री के रूप में पहचानने वालों के लिए उनकी स्वच्छन्दतावादी कविताओं का मनोरम संसार आश्चर्यकारी है। सिर्फ तेरह वर्ष की उम्र में सरोजनी नायडू ने सिर्फ छः दिन में तेरह सौ पंक्तियों की लंबी कविता *'ए लेडी ऑफ द लेक'* लिखी। इसी दौर में उन्होंने दो हजार पंक्तियों का एक काव्य नाटक भी लिखा। उनका लेखन एक ऐसी भाषा में हो रहा था, जिसमें लिखना और बोलना उन्हें एकदम पसंद नहीं था। इस अंग्रेजी भाषा में उन्होंने निपुणता हासिल की और तत्कालीन भारतीय कविता में उभरते स्वच्छन्दतावाद के मेल में विलक्षण कविताएं लिखीं। उनकी संवेदना और अभिव्यक्ति पर अंग्रेजी के *शैली* और *कीट्स* जैसे रोमांटिक कवियों का प्रभाव दीखता है। उनके काव्य-संस्कार *रवीन्द्रनाथ ठाकुर* की बंगला तथा अंग्रेजी कविताओं से अनुप्राणित हुए। प्रकृति और स्वप्न जगत पर आधारित कविताएं युवावस्था में कदम रखती सरोजनी ने प्रचुर मात्रा में लिखीं। *स्वप्न का संगीत, नीलांबुजा, एक फूल, एक हँसी, एक आंसू, एक पंक्षी* जैसी कविताओं के शीर्षक ही उनकी रोमांटिक प्रकृति को इंगित करते हैं। उनकी कविताओं का पहला संग्रह *'दि गोल्डन थ्रैशोल्ड'* 1905 में प्रकाशित हुआ, जिसके पांच संस्करण बाद में निकले। इस संग्रह में स्वप्न और सौन्दर्य पर केन्द्रित उनकी प्रारम्भिग रचनाएं हैं। *'दि सांग ऑफ ए ड्रीम'* शीर्षक कविता की पंक्तियां युवा सरोजनी नायडू की भावनाएं व्यक्ति करती हैं—

'एक बार मैं खड़ी थी निशा स्वप्न में/
अकेले जादुई वन के उजाले में/आत्मा तक
डूबी हुई/लाल फूलों जैसे सपनों में।'

बाद में सरोजनी नायडु की रोमांटिक अंग्रेजी कविताओं के कई अन्य संकलन भी सामने आये। 'दि वर्ड ऑफ टाइम' का प्रकाशन 1912 में हुआ, जिसमें उनकी ठेठ स्वच्छन्दतावादी कविताओं का प्रौढ़ रूप नजर आता है। आज के स्वप्न और कल की आशा को समर्पित उनकी कविताएं 'दि ब्रोकन विंग' में एकत्र हुई, जिसका प्रकाशन→

श्री नगेन्द्र बोथरा का आकस्मिक निधन : विनम्र श्रद्धांजलि

राजस्थान प्रदेश सर्वोदय मंडल की अध्यक्ष आशा बोथरा के पति श्री नगेन्द्र बोथरा का गत 27 दिसंबर को जोधपुर में आकस्मिक निधन हो गया।

सामान्य बेचैनी होने पर उन्हें 25 दिसंबर, 2016 को अस्पताल ले जाया गया, जहां दो दिन सामान्य चिकित्सा चलती रही, लेकिन अचानक हृदयाघात होने पर उन्हें बचाया नहीं जा सका तथा 27 दिसंबर को रात्रि 10 बजे उनका देहांत हो गया।

75 वर्षीय श्री नगेन्द्र बोथरा ने इंग्लैंड से बी.टेक. तथा जर्मनी से एम. टेक. करने के बाद जूट उद्योग की कई कम्पनियों में उच्च पदों पर कुशलतापूर्वक कार्य किया। सर्वोदय जगत के विनम्र सेवक श्री त्रिलोकचन्द गोलेछा तथा राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच एवं समर्पित समाजसेवी छगन बहन की पुत्री आशा से 1972 में उनका विवाह हुआ।

सुदीर्घ एवं सफल दाम्पत्य जीवन के दौरान श्री नगेन्द्र बोथरा व आशा बहन को उनके सार्वजनिक क्षेत्र, विशेष रूप से छात्र युवा संघर्ष वाहिनी तथा सर्वोदय जगत के कार्यों में स्वयं पीछे रहकर सदा भरपूर सहयोग करते रहे।

स्वभाव से अति विनम्र, हँसमुख और मिलनसार श्री बोथरा विशाल हृदय और स्वतंत्र विचार के धनी थे। गांधी विचार से गहरे प्रभावित उनके पुत्र भारत, पुत्रवधू ज्योति, पुत्री श्रद्धा एवं दामाद राजेश भी देशभर में विस्तृत सर्वोदय परिवार से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। श्री नगेन्द्र बोथरा का देहांत आशा बहन के जीवन में तो शून्यता पैदा करने वाला है ही, गांधी और सर्वोदय परिवार के लिए भी अपूरणीय क्षति है।

सर्व सेवा संघ, प्रकाशन एवं सर्वोदय जगत परिवार स्व. नगेन्द्र बोथरा के निधन पर अपनी संवेदना प्रकट करते हुए आशा बहन तथा उनके परिवार एवं परिजनों को इस गहन आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है।

–भवानीशंकर कुसुम

'नर्मदा' के साथ भी 'गंगा' जैसा व्यवहार

नर्मदा सेवा, पर्यटन या शिगूफा यात्रा?

❑ **मेधा पाटकर**

मध्य प्रदेश शासन की 'नर्मदा सेवा यात्रा' अपने आप में एक रोचक प्रसंग है। अरब सागर में मिलने से पहले करीब 500 किलोमीटर तक नर्मदा अब नदी नहीं बल्कि तालाब बनकर रह गयी है। इसका बहता पानी 4 बड़े बांधों ने रोक दिया है। अवैध रेत खनन भी बदस्तूर जारी है। **–सं.**

मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रयोजित नर्मदा सेवा यात्रा, करोड़ों रुपये खर्च करके क्या कुछ अर्जित कर पाएगी? इसका चमकता प्रचार-प्रसार जारी है। प्रदूषण रोकने की, वृक्षारोपण की तथा कचरा और लाश फेंकने के अलावा रेत खनन के असरों से भी नदी बचाने की बात का दावा यह यात्रा करती है। परंतु विनाशकारी कार्य को आगे बढ़ाने वाले, उसे कानूनी जामा पहनाने में सक्रिय व्यक्ति, संस्थाएं व शासकीय अधिकारी इस यात्रा का आयोजन करते हुए दिखायी देते हैं। आज किसानों, आदिवासियों या दलितों के मुद्दों के तिरस्कार और प्राकृतिक संसाधनों के शोषण पर आधारित पूंजीनिवेश और पूंजीपतियों की लूट व बड़ा मुनाफा कमाने में मददगार अर्थनीति के चलते अंततः 'नर्मदा' के साथ भी, 'गंगा' जैसा ही व्यवहार होगा।

नर्मदा नदी की सेवा करने वाले भक्तों, सच्चे साधु-संतों तथा घाटी के लाखों लाख निवासियों ने आज तक 1300 किमी लम्बी नर्मदा को स्फटिक जैसे शुद्ध रखा है। झरनों से लेकर उपनदियों तक से बहता पानी ही नर्मदा को प्रवाहमान रखता है। परंतु आज नर्मदा को केवल डूब क्षेत्र बना दिया गया है। इस नदी कछार के क्षेत्र की धरती, अति उपजाऊ खेती, पीढ़ियों पुराने गांव, हजारों घर तथा पेड़ डुबोकर क्या बचेगा? जलग्रहण क्षेत्र में जलाशय बनाने से अब ना तो नदी का पानी कलकल बहेगा और ना ही शुद्ध रहेगा। 30 बड़े व 135 मझौले बांधों से नदी को बांधकर उसे तालाबों की शृंखला में परिवर्तित करके संचित प्रदूषित पानी देने वाला मध्य प्रदेश शासन किस आधार पर नर्मदा नदी और सहायक 41 नदियों को बचाने या बहती रखने का दावा करता है?

नर्मदा घाटी पर बने सरदार सरोवर जलाशय का उदाहरण लीजिए। मध्य प्रदेश के हजारों विस्थापितों को जमीन के बदले जमीन का आश्वासन मिला था और सर्वोच्च अदालत में शपथपत्र दाखिल हुआ था। गुजरात और महाराष्ट्र ने विस्थापितों के कुल 14 हजार परिवारों को 2-2 हेक्टेयर जमीन दी, जबकि मध्य प्रदेश ने मात्र 50 परिवारों को जमीन दी है। यहां कइयों को घर प्लॉट तक नहीं मिला।

→1915 में हुआ। वर्ष 1937 में उनकी कविताओं का एक संग्रह 'सेप्टर्ड फ्लुट' नाम से भी छपा, जिसमें उनकी बिखरी हुई कविताओं को एकत्र किया गया है। अपनी राजनीतिक व्यस्तताओं के कारण सरोजनी नायडू धीरे-धीरे काव्यसृजन से विमुक्त होती गयी। वास्तव में 1920 के बाद उन्होंने शायद ही कविताएं लिखीं। उनके मन में राजनीतिक भागाभागी के कारण कविता लिखने की अपनी नैसर्गिक प्रतिभा के अवसान का बड़ा संताप था। उनकी चुनी हुई कविताओं का एक संग्रह उनके निधन के बहुत बाद 1961 में 'फेदर ऑफ डॉन' नाम से प्रकाशित हुआ। स्वच्छन्दतावादी भरतीय कविता के इतिहास में सरोजनी नायडू का इतना महत्त्वपूर्ण स्था है कि 1917 में प्रकाशित 'दि आक्सफोर्ड बुक ऑफ इंग्लिश मिस्टिक वर्ल्ड' में उनकी तीन कविताएं संकलित हैं। उन्हीं में से एक कविता 'पद्म पर आसीन बुद्ध के प्रति' में उन्होंने लिखा है—'हमारे लिए संताप और ताप/ हमारे अभिमान के टूटे रहस्य,/पराजय के कलांतिमय पाठ/फूल अपसारित व फल निषिद्ध/किन्तु नहीं है शांति/श्रेष्ठ जय से प्राप्त/भगवान बुद्ध तुम्हारे पद्मासन की।'

अपनी कविताओं में सरोजनी नायडू ने रोमांटिक काव्य धारा की सारी विशेषताओं के साथ ही साथ बदलते समय के योग्य चिन्तन भी प्रस्तुत हुआ है। जिन दिनों सरोजनी नायडू अपनी कविताओं का निर्माण कर रही थीं, वह भारत के स्वप्नदर्शी मन की सक्रियता का समय था। पराधीनता के बंधनों को तोड़कर कवियों की कल्पना मनचाही दिशाओं में उड़ रही थी। गुलामी के अंधकार से आजादी के प्रकाश की ओर बढ़ रहे देश के सपनों और धड़कनों को तत्कालीन भारतीय कविता व्यक्त कर कविताएं प्रकृति और स्वप्न की भावनाओं से सराबोर हैं। अवसर मिलते ही उन्होंने नारी-मन की भावनाओं को भी व्यक्त किया है। 'दि ब्रोकन विंग' की एक कविता में सरोजनी नायडु ने स्त्रियों की विवशता का यह चित्र खींचा है...

'युगों की सामाजिक व्यवस्थाएं मान्य हैं
उन्नयन के लिए बनी परम्पराएं
व्याकुल भावनाएं मेरे मन में हैं,
इन सबके प्रतिकूल बोलना
रोकने वाले चीत्कार करते खड़े हैं।'

राजनीति से कविता तक और कविता से नारी जागरण तक सरोजनी नायडू ने भारत कोकिला के दायित्व का पालन किया, इसमें संदेह नहीं। एक ओजस्वी वक्ता, एक विलक्षण हस्ताक्षर, एक विरल प्रतिभा और एक अपूर्व राजनेत्री सरोजनी नायडू का स्मरण हमारे समय की एक अनिवार्यता है।

भारत कोकिला को नमन व श्रद्धांजलि।

('नई धारा' से साभार)

मध्य प्रदेश में मछुआरों को महाराष्ट्र जैसा मछली पर अधिकार भी नहीं मिला। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवायी गयी जानकारी के आधार पर शिकायत निवारण प्राधिकरण में बिठाए गए पूर्व न्यायाधीश जवाब देते हैं कि जमीन नहीं है। जबकि कंपनियों के लिए 1 लाख 50 हजार एकड़ जमीन मध्य प्रदेश शासन के पास तैयार है।

नर्मदा के हजारों परिवार पुनर्वास में जमीन मिलने की राह देखते हुए 31 सालों से लड़ रहे हैं। वर्ष 1999 में सर्वोच्च अदालत में दर्ज जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश 8 हजार हेक्टेयर जमीन उपलब्ध थी, परंतु उसे अनदेखा करके विस्थापितों को मात्र खराब, अनुपजाऊ, पथरीली जमीन दिखाकर पुनर्वास से वंचित रखा गया। सरदार सरोवर परियोजना से विस्थापित हजारों परिवारों को जमीन का कानूनन हक होते हुए भी उन्हें सरकार से खेती लायक जमीन नहीं मिली, इसीलिए उन्हें विशेष पुनर्वास अनुदान यानी नकद पैकेज देकर फंसा दिया गया। सरकार ने जमीन न देकर नकद मुआवजे का प्रावधान इसलिए किया ताकि आसानी से भ्रष्टाचार किया जा सके। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मा. न्यायमूर्ति एस.एस. झा आयोग की 7 सालों की जांच से निकला कि 1589 फर्जी रजिस्ट्रियों का घोटाला किया गया है। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि नकद राशि देने की गलत नीति के कारण यह भ्रष्टाचार हुआ है और अधिकारी तथा दलाल इसके लिए दोषी हैं।

इस पूरे जमीन घोटाले के लिए अब तक मात्र विस्थापित क्रेता व विक्रेता, जिनमें पूरी निर्ममता से फंसाये गये आदिवासी, दलित, कई अंधजन एवं विधवा शामिल हैं, के खिलाफ दलालों के साथ आपराधिक प्रकरण दाखिल कर रहे हैं। इसमें आरोपियों की सूची में आयोग की ओर से डाले गए अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की भी खबर नहीं है। अधिकारियों को बचाने की पूरी साजिश शिवराज सिंह सरकार रच रही है। क्या इसी नर्मदा सेवा के लिए यात्रा के दौरान इन अधिकारियों को शासन पुरस्कार भी देगा? इन बांधों में हजारों हेक्टेयर का घना जंगल डुबाते वक्त शासन के नुमाइंदों ने झूठे दावे किये थे। तीन गुना पेड़ लगाने का वायदा किया गया। परंतु प्राकृतिक जंगल का पुनर्निर्माण असंभव होने की वैज्ञानिक बात से क्या इनके विशेषज्ञ भी परिचित नहीं हैं। सरकार आज सरदार सरोवर के जल-ग्रहण क्षेत्र में धार एवं बड़वानी जिले के गांव-गांव में खस का जंगल खड़ा करने का ढोंग कर रही है। पहले भी पर्यावरण मंत्रालय और तमाम संस्थाओं की मंजूरी/सहमति लेते गये व करोड़ों रुपयों का खर्च मात्र कागज पर दिखाया गया है।

अब नर्मदावासियों को फल के वृक्ष देने के लिए 600 करोड़ रुपये खर्च और बजट तय करने के बाद भी क्या उन लाखों पेड़ों की भरपायी संभव होगी। स्थानीय प्रजातियों के बदले शासक छोटे फलवृक्ष लगाकर क्या मिट्टी का बहना रोक सकेंगे। नर्मदा सेवा यात्रा अवैध रेत खनन को कैसे रोकेगी, इसका जवाब तो वे ही दें जो इस दावे को बिना कोई विवरण के प्रचारित कर रहे हैं। नर्मदा किनारे बड़वानी जिले के ठीकरी तहसील के छोटा बड़दा, पेण्डा, भीलखेड़ा, गोई नदी इत्यादि क्षेत्र में आज तक अवैध रेत खनन चल रहा है। धार जिले के खुजावा (धरमपुरी) गोपालपुरा, गोगावां इत्यादि क्षेत्रों में अलिराजपुर के चांदपुर, सेजा इत्यादि गांवों में आज भी जारी रेत खनन अवैध है।

प्रदूषण बढ़ाने वाली दर्जनों ताप-विद्युत परियोजनाएं बरगी और अन्य बांधों के क्षेत्र में जो न कि नदीसे मात्र 5/10 किमी दूरी पर स्थित हैं, को लाने वाले शासक, प्रदूषण रोकने की मंशा रखते हैं या केवल प्लास्टिक से बचाकर नदी को प्रदूषण मुक्त रखेंगे?

नर्मदा का पानी ओंकारेश्वर जलाशय से प्रति सेकण्ड हजारों लीटर्स पानी उठाकर बड़ी पाइप लाइनों के जरिये उद्योगों को देने की योजनाएं नर्मदा-क्षिप्रा, नर्मदा-गंभीर, नर्मदा-काली सिंध नदी जोड़ क्या नर्मदा की 'सेवा' योजनाएं हैं या उद्योगपतियों के लिए नर्मदा का 'मेवा'। पर्यटन के लिए 7 मीटर चौड़ा पथ बनाकर वाहन-परिक्रमा को बढ़ाने की ओर तुरंत पैदल परिक्रमा को खत्म करने की ओर उठा कदम क्या अम्बानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को पर्यटन का जिम्मा सौंपना नहीं है? नर्मदा की प्राकृतिक पूंजी, आदिवासी, किसान, मछुआरे, कुम्हारों से छीनकर जमीन और जल भी धन्ना सेठों आवंटित करने की ओर मध्य प्रदेश सरकार चल पड़ी है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा माई को कोका-कोला, नेनो और अन्य कार कारखानों या अडानी के लिए मोड़ने वाली गुजरात सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी यात्रा की शुरुआत में उपस्थित रहे। वहीं 15 जुलाई से आज तक सरदार सरोवर बांध के पास क्रमिक अनशन पर बैठे गुजरात के विस्थापितों को मिलने के लिए रुपाणी जी के पास समय नहीं है, जबकि एक आदिवासी की मौत भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी आज तक कभी किसी विस्थापित गांव का दौरा नहीं किया और न ही देखा कि पुनर्वास हुआ भी है कि नहीं?

अनिल माधव दवे पर्यावरण मंत्री बनने के बाद जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आए तब वे बताते, क्या नर्मदा का पानी उठाकर, इतने सारे उद्योगों को पानी उपलब्ध कराने की (5,70,000 करोड़ रुपये निवेश की घोषणा) योजना संपूर्ण परिणाम जांचकर, पर्यावरणीय मंजूरी के लिए कभी प्रस्तुत की गयी है? क्या निवेश से पूर्व इसे सार्वजनिक करने के पहले पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है? क्या उद्योगों के पर्यावरणीय, सामाजिक असर जांचे गये हैं? क्या नर्मदा को खेती की कीमत पर उद्योगों की ओर मोड़ना भी उन्हें मंजूर है? सबसे बड़ा मलाल तो यह है कि क्या वे सरदार जलाशय सरोवर के गेट बंद करके बसे-बसाए गांवों के 2.5 लाख लोगों की जलसमाधि को भी नर्मदा की सेवा ही मानेंगे? और क्या कहें? नर्मदा माई की जय। ❑

विकासशील देशों की लूट को छुपाकर रखने के अड्डे हैं टैक्स हैवन्स

टैक्स हैवन्स वैश्विक भ्रष्टाचार के ड्राइवर हैं और सबसे ज्यादा पीड़ित विकासशील देशों को करते हैं। दुनिया के 300 अग्रणी अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि टैक्स हैवन्स कोई भी उपयोगी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते। टैक्स हैवन्स असमान खेल का मैदान बनाते हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस स्थिति में हैं कि वे टैक्स हैवन्स का फायदा उठा सकें, लेकिन अन्य कारोबारी, चाहे बड़ी घरेलू कम्पनियां हों या छोटे कारोबारी वे ऐसा नहीं कर पाते। साथ ही केवल बहुत अमीर व्यक्ति जिनके पास अपनी सम्पत्ति को कनूनी रूप से छुपाने में मदद करने के लिए टैक्स के वकीलों और एकाउटेण्ट्स की फौज होती हे वे ही अपने हिस्से का टैक्स देने से बच जाते हैं।

इसके चलते चूंकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और अमीरों से प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी आ जाती है, सरकारों के पास दो ही विकल्प बचते हैं या तो वे गैर बराबरी और गरीबी को दूर करने के लिए जरूरी खर्चों में कटौती करें या अन्य कम अमीर और गरीब जनता तथा छोटे कारोबारियों पर ज्यादा टैक्स लगाकर कमी की भरपाई करें। दोनों विकल्प निचले तबकों को घाटा पहुंचाते हैं और विषमता का अंतर बढ़ता रहता है।

आमदनी और टैक्स को छुपाकर टैक्स हैवन्स बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बेइमान, अमीर व्यक्तियों को प्रत्यक्ष टैक्स से बचने में मदद करते हैं और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सम्पत्ति इकट्ठा करने देते हैं, विषमता बढ़ती जाती है। इस कारण प्रत्यक्ष टैक्स कम प्रभावी हो जाता है और राजस्व को नुकसान तथा आमदनी के पुनर्वितरण को मुश्किल कर देता है। ज्यादा महत्त्वपूर्ण शायद यह है कि टैक्स हैवन्स द्वारा गोपनीयता को बढ़ावा देने से भ्रष्टाचार फायदे का सौदा हो जाता है और उसे करने वाला बिना सजा के रह जाता है। हममें से अधिकांश की पहुंच इस वैश्विक टैक्स हैवन्स नेटवर्क तक नहीं है, यहां तो केवल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े कारोबारियों और अमीरों की ही पहुंच है।

टैक्स हैवन्स की राजस्व कीमत

टैक्स हैवन्स की गोपनीयता की सबसे आसानी से परिमाणित कीमत तो दुनिया का वह राजस्व नुकसान है जो टैक्स अदा न करने के कारण होता है। निःसंदेह इसका विकास सम्भावनाओं पर गम्भीर असर पड़ता है। व्यक्तियों द्वारा और कॉरपोरेटों द्वारा टैक्स हैवन्स में रखी गयी सम्पत्ति की वैश्विक गणना का दायरा व्यापक है। व्यक्तियों की सम्पत्ति की सबसे ऊंची गणना के मुताबिक 21-32 ट्रिलियन डॉलर की सम्पत्ति इन गोपनीयता क्षेत्राधिकारों में छिपी हुई है। एक अनुदार गणना के मुताबिक अमीर व्यक्तियों द्वारा 7.6 ट्रिलियन डॉलर की सम्पत्ति 2013 में इन टैक्स हैवन्स में रखी गयी है। व्यक्तियों की इस छुपी सम्पत्ति के कारण उन देशों को जहां से यह सम्पत्ति लायी गयी है सालाना लगभग 190 अरब डॉलर के टैक्स राजस्व की हानि हो रही है, जिसमें से 70 अरब डॉलर का नुकसान तो दुनिया के गरीबतम देशों को हो रहा है।

कॉरपोरेटों द्वारा टैक्स चोरी के कारण और भी ज्यादा बड़ा राजस्व नुकसान हो रहा है। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के शोधकर्ताओं द्वारा की गयी गणना के मुताबिक टैक्स हैवन्स में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा छुपाकर रखी गयी सम्पत्ति के कारण वैश्विक स्तर पर 600 अरब डॉलर का राजस्व नुकसान हो रहा है। टैक्स जस्टिस नेटवर्क के अध्ययन ने पाया कि केवल अमरीका में मुख्यालय रखने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा 2012 में वैश्विक स्तर पर 130 अरब डॉलर का राजस्व नुकसान हुआ।

कॉरपोरेट टैक्स चोरी से सबसे ज्यादा चोट विकासशील देशों को पहुंचती है। अमीर देश भी चोट खाते हैं। अधिकांश बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मालिक अमीर देशों के बारे में यह माना जाता है कि अपने फायदे के लिए वे इस वैश्विक जाल को बनाये रखना चाहते हैं, पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियां उनको जी-20 के देश अमरीका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, भारत, मैक्सिको, स्पेन को भी काफी चोट पहुंचातीहै। जबकि उनके यहां तो टैक्स कानून मजबूत और टैक्स अथारिटीज समक्षम है।

टैक्स हैवन्स : वैश्विक भ्रष्टाचार के ड्राइवर

भ्रष्टाचार सामान्यतया समझा जाता है 'व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता का दुरुपयोग'। जब व्यक्ति और कॉरपोरेशन्स अपनी सत्ता का उपयोग टैक्स बचाने में करते हैं तब वे टैक्स हैवन्स में मिल रही सुविधाओं का उपयोग करते हैं। टैक्स हैवन्स द्वारा दी जा रही वित्तीय गोपनीयता बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और धन शोधन, राजनीतिक हितों के झगड़ों का छुपाव, बाजारों का हेरफेर, और एण्ट्री-ट्रस्ट कानूनों का उल्लंघन को बढ़ावा देती हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का विश्लेषण दिखाता है कि लंदन की 36,342 सम्पत्तियां जो कुल 2.25 वर्गमील जगह की मालिक हैं, अनाम कम्पनियों के पास है। इनमें से 75% सम्पत्तियां अपनी पहचान को छुपाने के लिए ऑफशोर कॉरपोरेट गोपनीयता का इस्तेमाल कर रही हैं। चैनल-4 में दिखायी गयी डॉक्यूमेण्टरी 'फ्रॉम रसिया

विथ कैश' ने एक लंदन एजेण्ट की भ्रष्ट खरीददारी का खुलासा किया। ड्यूश बैंक के विश्लेषण के मुताबिक हर महीने लंदन जा रहा छुपा धन एक अरब पाउण्ड में अधिकांश पैसा रूस का है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा टैक्स चोरी को बड़े भ्रष्टाचार के रूप में देखा जाना चाहिए। विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने खुले रूप से इसे 'भ्रष्टाचार का एक रूप जो गरीबों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है' कहा है। टैक्स हैवन्स न केवल टैक्स व्यवस्था की जड़ें खोद रहे हैं बल्कि राज्य की व्यापक प्रभावशीलता को भी पंगु बना रहे हैं। नार्वे सरकार का आयोग कैपिटल फ्लाइट आउट ऑफ डैवलपिंग कंट्रीज ने इस मामले को जोरदार तरीके से कहा, 'सशक्त रूप से टैक्स हैवन्स का सबसे गंभीर परिणाम है कि वे विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्था और उनके संस्थानों की गुणवत्ता को कमजोर करने में योगदान करते हैं। ऐसा इसलिए कि टैक्स हैवन्स इन देशों के राजनेताओं और नौकरशाहों, जिनके हित व्यवस्था को कमजोर करने में है, के स्व हितों को प्रोत्साहित करते हैं।

टैक्स हैवन्स विकासशील देशों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रहे हैं

यह आकलन किया गया है कि टैक्स हैवन्स के कारण गरीब देशों को प्रतिवर्ष 170 अरब डॉलर के टैक्स राजस्व का नुकसान होता है। व्यक्तिगत अध्ययन इस असर को ज्यादा प्रभावी ढंग से उठाते हैं। एक एक्शन एण्ड अध्ययन ने पाया कि ऑस्ट्रेलियन खनन कम्पनी पालाडिन ने मालावी में अपने टैक्स बिल में से 4.3 करोड़ डॉलर काट लिये कॉरपोरेट मुनाफा और व्यक्ति की अघोषित सम्पत्ति दोनों के सम्बन्ध में प्रमाण इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं कि विकासशील देश बुरी तरह प्रभावित हैं। आई.एम.एफ. शोधकर्ताओं की गणना है कि ओइसीडी देशों के लिए उनके जी. डी. पी. का 1% नुकसान और विकासशील देशों के लिए 1.3% का नुकसान होता है। हालांकि जी.डी.पी. तुलना नुकसान की संपूर्ण तस्वीर नहीं दिखती क्योंकि विकासशील देश का टैक्स राजस्व जी.डी.पी. का 0-20% तक तथा ओ.ई.सी.डी. देशों का टैक्स राजस्व जी.डी.पी. का 30% तक बैठता है। इसलिए विकासशील देश के टैक्स राजस्व का 6-13% तथा ओइसीडी देशों के टैक्स राजस्व का 2-3% ही घाटे में जाता है।

अघोषित व्यक्तिगत सम्पत्ति का आकलन भी विकासशील देशों के बारे में एक विशेष सघनता को सुझाता है। रूस और खाड़ी के देशों को अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो ऑफशोर क्षेत्रों में रखी गयी व्यक्तिगत सम्पत्ति सबसे ज्यादा अफ्रीका और लेटिन अमरीका की है—यूरोप से दुगनी और अमरीका से तो कई गुना ज्यादा। अफ्रीका के बारे में जानकारियों को पुष्ट करते हुए, गवाई जा चुकी पूंजी के क्षेत्रीय आकलन भी हैं जो मजबूती से इंगित करते हैं कि वह क्षेत्र विश्व का कर्जदार होने के बजाय देने वाला (क्रेडिटर) है। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री लियोंस डीकुमाना और सह लेखक जेम्स बायस ने 1970 के बाद से ऑफशोर क्षेत्र में गयी अफ्रीकन पूंजी के आकलन पर एक पूरी श्रृंखला जारी की है जिसका नवीनतम अंग अफ्रीकन इकानॉमिक रिसर्च कन्सोंटियन ने जारी किया है। वे आकलन करते हैं कि 1970 से 2010 के बीच कुछ 39 अफ्रीकन देशों से गयी पूंजी, जो ऑफशोर केन्द्रों में रखी है, लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर यानि इन देशों के 2010 के जी.डी.पी. की 82% है। इसके विपरीत, इन देशों पर कुल बाहरी कर्ज 283 बिलियन डॉलर ही है। इस तरह ऑफशोर केन्द्रों में छुपाकर रखी गयी अफ्रीकन सम्पत्ति इन देशों पर चढ़े विदेशी कर्ज से 4 गुनी से ज्यादा है।

तो असली कर्जदार कैन है? 1970 के बाद अन्तर्राष्ट्रीय निजी बैंकों से सहायता तो मिली पर 139 देशों के उच्च वर्गों ने 7.3-9.3 ट्रिलियन डॉलर की सम्पत्ति इकट्ठा करके ऑफशोर हैवन्स में 2010 में रख दी। यह आकलन काफी अनुदार है। उस समय इन देशों के पब्लिक सेक्टर दिवालिया हो रहे थे 'संरचनात्मक समयोजन' कार्यक्रमों के कष्ट से गुजर रहे थे और वहां वृद्धि दर नीची थी और पब्लिक सम्पत्ति को बेचा जा रहा था।

इन सभी देशों पर 2010 में कुल कर्ज 4.08 ट्रिलियन डॉलर का था किन्तु यदि हम इन देशों के विदेशी मुद्रा भण्डार को घटा दें जो कि अधिकांश पहली दुनिया की सिक्यूरिटीज में निवेश हो चुका था तो उनका कुल विदेशी कर्ज 2.8 ट्रिलियन डॉलर था।

इसलिए कुल मिलाकर ऑफशोर व्यवस्था के रास्ते ये कर्जदार मान लिये गये देश—जिसमें सभी प्रमुख विकासशील देश शामिल थे—वास्तव में कर्जदार नहीं थे, बल्कि वे दाता देश थे और 2010 के अंत तक 10.1-12.1 ट्रिलियन डॉलर दे चुके थे।

यहां समस्या यह है कि इन देशों की सम्पत्ति कुछ थोड़े से अमीर व्यक्तियों के पास रखी हुई थी, जबकि कर्ज इन देशों के आम लोगों पर चढ़ा हुआ था। जैसा कि यू.एस. फैडरल रिजर्व के अधिकारी ने 1980 के दशक में देखा वास्तविक समस्या यह नहीं है कि इन देशों के पास सम्पत्ति नहीं है। समस्या यह है कि वह सारी सम्पत्ति मियामी में है।' और वे जोड़े सकते थे कि 'न्यूयार्क, लंदन, जेनेवा, ज्यूरिख, लक्समबर्ग, सिंगापुर और हांग कांग में है।''

यह ऑफशोर में रखी अलिखित निजी सम्पत्ति और पब्लिक कर्ज में गहरा रिश्ता है। अलिखित पूंजी बहिर्गमन में 1970 और 80 के दशक में बढ़ोत्तरी सकारात्मक रूप से विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को दिये जा रहे कर्ज में उफान से जुड़ी हुई थी।

थर्ड वर्ल्ड रिसर्जेन्स नं.-309

कृषि पर बेढंगी चाल

❑ **मार्टिन खोर**

विकसित देशों का पूरा रवैया आत्मकेन्द्रित और अत्यन्त स्वार्थरक है। कृषि नीतियों में दोमुंही व्यवस्था बनाकर वे अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था तो चौपट हो ही रही है वहां की कृषि और कृषक दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। **–सं.**

विकसित देश सामान्यतया मुक्त व्यापार के गुणगान करते और संरक्षणवाद के पाप गिनाते रहते हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि अनेक विकसित देश दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। जिन क्षेत्रों में वे मजबूत हैं वहां पर मुक्त व्यापार पर जोर देते हैं और जहां कमजोर हैं वहां संरक्षणवादी रवैया अपनाते हैं। सबसे बदतर स्थिति यह है कि वह एक ही क्षेत्र में इस तरह से नियम बनाते हैं जिसकी बदौलत विकासशील देशों पर उदारवाद थोप दिया जाता है। परंतु स्वयं उन्हें अत्यधिक संरक्षण की अनुमति प्राप्त हो जाती है। इसका एक असाधारण उदाहरण 'कृषि' है जिसमें अमीर देश प्रतिस्पर्धात्मक नहीं हैं। यदि इस क्षेत्र में 'मुक्त व्यापार' को प्रचलन में लाया जाए तो वैश्विक कृषि व्यापार का बड़ा हिस्सा अधिक कार्यकुशल विकासशील देशों के प्रभुत्व में होता। परंतु आज तक कृषि व्यापार पर महत्त्वपूर्ण विकसित देशों का प्रभुत्व बना हुआ है।

अनेक दशकों से उन्हें कृषि हेतु व्यापार उदारीकरण नियमों से छूट मिली रही। सन् 1995 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के गठन के साथ ही यह छूट समाप्त हो जानी चाहिए थी। इसके अलावा यह उम्मीद की जा रही थी कि अमीर देश अपनीकृषि को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खोल देंगे। परंतु वास्तविकता यह है कि डब्ल्यूटीओ कृषि समझौते के अंतर्गत उन्हें अत्यधिक सीमा शुल्क लगाने और उच्च सब्सिडी देने की अनुमति मिली हुई है। इन सब्सिडी के माध्यम से वहां के किसान अपने उत्पाद कम कीमत में बेचने में सक्षम हो जाते हैं। यह मूल्य अक्सर लागत से भी कम होता है। इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त मात्रा में राजस्व (जिसमें सब्सिडी भी शामिल है) प्राप्त हो जाता है और वे कृषि व्यापार में बने रहते हैं।

विकासशील देशों पर इसके चार नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। पहला, ऐसे देश जो कि कृषि के संदर्भ में प्रतिस्पर्धी होते हैं, वह भी अमीर देशों के बाजार में पैठ नहीं बना पाते। दूसरा, विकासशील देशों को विश्व के अन्य बाजारों से भी हाथ धोना पड़ता है। क्योंकि वे वही कृषि उत्पादन कृत्रिम सस्ते मूल्यों पर निर्यात करते हैं। तीसरा, उत्पाद के सस्ता निर्यात करने की वजह से विकसित देश प्रतिस्पर्धा स्थानापन्न उत्पाद की मांग भी कम कर देते हैं। जैसे अमेरिका द्वारा सोयाबीन पर सब्सिडी देने से सोयाबीन का तेल सस्ता हो जाता है। यदि ऐसा नहीं हो तो मलेशिया और इण्डोनेशिया के पास तेल को ज्यादा बड़ा बाजार उपलब्ध हो सकता है। चौथा, इन सस्ते उत्पादों (जैसे अमेरिका और यूरोप से चिकन) ने तमाम विकासशील देशों में प्रवेश पा लिया है, जिसके परिणामस्वरूप वहां के स्थानीय किसानों की आजीविका संकट में पड़ गयी है।

सन् 2001 में डब्ल्यूटीओ ने दोहा विकास एजेंडा जारी किया, जिसका मुख्य लक्ष्य था विकसित देशों के कृषि क्षेत्र को मुक्त करवाना। अनेक वर्षों तक ऊर्जा लगाकर ऐसी प्रणाली विकसित की गयी जिसके माध्यम से कृषि व्यापार को मुक्त बनाया जा सके। इतना ही नहीं इस पर व्यापक सहमति भी बन गयी थी। परंतु यूरोप की शह पर अमेरिका ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि दोहा राउंड (दौर) को किसी निष्कर्ष पर ले जाने में उसकी कोई रुचि नहीं है। भविष्य में डब्ल्यूटीओ के समझौते नये आधार पर होंगे और वह वर्तमान दस्तावेजों पर आधारित नहीं होंगे। क्रिस हॉर्समेन ने अपने एक लेख में विश्लेषण किया है कि क्यों अमेरिका वर्तमान दस्तावेजों को स्वीकार नहीं कर रहा है। एक तरह की सब्सिडी की अधिकतम सीमा घटाने (डी मिनिमस) से अमेरिका को बिना अनुमति वाली सब्सिडी (एएमएस) में 58 प्रतिशत तक का वृद्धि करनी होगी। इससे पता चल जाता है कि अमेरिका वर्तमान कर तालिका से क्यों बचना चाहता है और क्यों नये तरह से समझौते पर पहुंचना चाहता है। अमेरिका की शक्तिशाली कृषि लॉबी की वजह से वह दोहा दौर में जो घरेलू सब्सिडी की नयी सीमा तक की गयी थी, उससे संबंधित अपन घेरलू नीति (जो कि सन् 2014 के कृषि कानून में निहित है) में परिवर्तन नहीं कर सकता। इसी लेख में बताया गया कि किस तरह यूरोपियन यूनियन ने डब्ल्यूओ नियमों के बेहतर अनुपालन हेतु उपलब्ध करायी जा रही सब्सिडी के प्रकार में परिवर्तन किया है। इसमें यूरोपियन यूनियन देशों को सन् 2004 से 2013 के मध्य अपनी घरेलू सब्सिडी को 80 अरब यूरो (91 अरब डॉलर) तक सीमित करने की बात कही गयी है।

डब्ल्यूटीओ के गठन के दो दशक पश्चात भी अमीर देशों ने कृषि संरक्षण का उच्च स्तर कायम कर रखा है। इस बात की बहुत ही कम संभावना है कि वे अपनी व्यापार प्रणाली में व्यापक फेरबदल लायें। क्योंकि बड़े स्तर पर सब्सिडी में कमी से उनकी कृषि व्यवहार्य नहीं रह पायेगी। दूसरी

ओर गरीब देशों के पास इतना धन नहीं है कि वह अमीर देशों द्वारा दी जा रही सब्सिडी का मुकाबला कर सकें। यदि वे अपने देश के किसानों और खाद्य सुरक्षा को बचाना चाहते हैं तो उन्हें अपने यहां सीमाशुल्क को उस स्तर तक ले जाना होगा, जिससे कि सब्सिडी वाले सस्ते उत्पाद देश में प्रविष्ट ही न हो सकें। परंतु जिन विकासशील देशों ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन (संघ) के साथ मुक्त व्यापार समझौते कर लिये हैं उन्हें अपने यहां सीमा शुल्क या तो शून्य पर लाना होगा या अत्यन्त कम दर पर लगाना होगा। विकासशील देशों के आग्रह पर कृषि सब्सिडी को मुक्त व्यापार समझौतों की कार्यसूची से बाहर रखा गया है।

इसके अलावा अमेरिका और यूरोपीय संघ कई अन्य क्षेत्रों में भी विकासशील देशों के विरुद्ध संरक्षणवादी कदम उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका ने सफलतापूर्वक डब्ल्यूटीओ में भारत के खिलाफ मामला दायर कर दिया है कि भारत का राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन में घरेलू उत्पाद जैसे सोलर सेल एवं माडुल्स की अनिवार्यता के माध्यम से स्थानीय फर्मों की मदद कर रहा है। इस तरह की आपत्तियों से भारत एवं अन्य विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटना कठिन हो जायेगा। हाल ही में यूरोपीय संसद ने चीन को डब्ल्यूटीओ में एक बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा देने से इनकार कर दिया। हालांकि डब्ल्यूटीओ चीन द्वारा सन् 2001 सदस्यता ले लेने की 15 वर्ष पश्चात उसे बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता दे चुका है। चीन को यह दर्जा देने से इनकार करने के बाद अन्य देशों के लिए यह आसान हो जायेगा कि वह चीन के खिलाफ एंटीडंपिंग के मामले उठा सकेंगे। और चीन के निर्यात पर अधिक सीमा शुल्क ठोंक सकेंगे। हालांकि चीन और भारत इसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। भारत ने मई में घोषणा कर दी है कि वह अमेरिका के खिलाफ 16 मामले लगायेगा जिसमें उसने डब्ल्यूटीओ के नियमों की अवहेलना करते हुए अपने नवीनीकरण ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी उपलब्ध करवाई है। वैसे चीन अमेरिका के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में एक मामला जीत भी चुका है, जिसमें अमेरिका ने गलत तरीके से 15 चीनी उत्पादों जिसमें सौर पैनल, स्टील सिंक एवं थर्मल पेपर शामिल थे, पर बराबरी का शुल्क लगाया था। परंतु अमेरिका ने निर्णय का पालन नहीं किया। अब चीन डब्ल्यूटीओ में कार्यवाही कर रहा है जिससे कि अमेरिका निर्णय का पालन करने को बाध्य हो।

यह असंभव प्रतीत हो रहा है कि अमीर देश अपनी कृषि पर अत्यन्त संरक्षणवादी रुख में कमी करेंगे। साथ ही यह भी प्रतीत हो रहा है कि वे विकासशील देशों के उत्पाद अथवा नीतियों के खिलाफ संरक्षणवादी रुख अपनाये रखेंगे। यह वास्तविकता है कि मुक्त व्यापार को व्यवहार में लाने और बड़बोलेपन में बहुत बड़ी खाई है। ❑

चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन : 23-24 मार्च

निमंत्रण

मान्यवर,

चम्पारण सत्याग्रह अहिंसक आंदोलनों के इतिहास में मील का पत्थर है। यह किसानों का आंदोलन, राष्ट्रीय स्मिता तथा पूंजीवादी साम्राज्यवाद के विरोध का आंदोलन था। इस सत्याग्रह के सौवें वर्ष में भी शोषण, अत्याचार तथा दमन का दौर जारी है। किसानों की दुर्दशा का तो पार ही नहीं। कृषि-प्रधान भारत में हर वर्ष हजारों किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

इस सत्याग्रह की स्मृति एवं सत्याग्रह के नये संकल्पों के लिए 23-24 मार्च, 2017 को मोतीहारी (बिहार) में *'चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन'* आयोजित किया गया है। सम्मेलन का उद्घाटन महात्मा गांधी के प्रपौत्र *श्री तुषार गांधी* करेंगे। *सुश्री मेधा पाटकर, रवीश कुमार, पद्मश्री तुलसी मुंडा, स्वामी अग्निवेश, डॉ. एस. एन. सुब्बराव, पी. वी. राजगोपाल एवं राजेन्द्र सिंह* सम्मेलन के विशिष्ट अतिथि होंगे। सम्मेलन का मुख्य विषय है—***'चम्पारण सत्याग्रह और नव-उपनिवेशवाद'।***

आप मित्रो सहित सम्मेलन में सादर आमंत्रित हैं।

स्थान : एम.एस. कॉलेज, मोतीहारी : 23-24 मार्च, 2017 : 11 बजे

:: हम हैं ::

जयवंत मठकर	आदित्य पटनायक	डॉ. रज़ी अहमद
अध्यक्ष, सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान	संयोजक, सर्वोदय समाज	मंत्री गांधी स्मारक संग्रहालय, पटना
किशन गोरडिया	भवानीशंकर कुसुम	त्रिभुवन नारायण सिंह
संयोजक, सद्भावना संघ	संयोजक, संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच	अध्यक्ष, बिहार सर्वोदय मंडल
डॉ. रामजी सिंह पूर्व सांसद	तपेश्वर भाई	रामशरण
ब्रजकिशोर सिंह	हरिनारायण ठाकुर	महादेव विद्रोही
संरक्षक, सम्मेलन स्वागत समिति मंत्री, गांधी स्मारक संग्रहालय	स्वागताध्यक्ष, सम्मेलन स्वागत समिति प्राचार्य, एम.एस. कॉलेज	अध्यक्ष, सर्व सेवा संघ सेवाग्राम, वर्धा

सम्पर्क : सर्व सेवा संघ, प्रधान कार्यालय, महादेव भाई भवन, सेवाग्राम-442102, वर्धा (महाराष्ट्र), फोन : 07152-2840-61/91, E-mail : sarvasevasangha@hotmail.com पर किया जा सकता है।

गतिविधियां एवं समाचार

सीमांत गांधी स्मृति-दिवस आयोजित

भारत की आजादी और इंसानी मूल्यों के अहिंसक संघर्ष में ताजिन्दगी जूझने वाले अनूठे सेनानी सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान के स्मृति-दिवस के मौके पर यहां विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी राजकीय जिला पुस्तकालय में आयोजित स्मृति-सभा में उनकी बहुआयामी प्रेरक शख्सियत को भावपूर्ण ढंग से याद किया गया।

'नफरत और हिंसा' के खिलाफ मानवीय एकता', 'जन एकता मुहिम' और 'इन्सानी बिरादरी' द्वारा 'विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी जिला पुस्तकालय' के सहयोग से आयोजित स्मृति-सभा में वक्ताओं ने याद किया कि अविभाजित भारत के उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रांत के (और अभी पाकिस्तान के) पेशावर जिले के 'उतमानजई' गांव के एक पश्तोभाषी पख्तून कबीले में जन्मे खान अब्दुल गफ्फार खान ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत की आजादी के आंदोलन के एक सक्रिय सेनानी के बतौर अहिंसक संघर्ष की अगुवाई की। उन्होंने अपने इलाके के पारंपरिक हिंसक खूनी संघर्षों में फंसे पख्तून कबीलाइयों की बंदूकें फिंकवाकर उन्हें आजादी के अहिंसक संघर्ष की 'लाल कुर्ती फौज' के रूप में खुदाई खिदमतगार संगठन के तहत संगठित करने का तकरीबन चमत्कारी काम किया। वह भारत का बंटवारा करने की खिलाफत करने वालों में सबसे आगे थे।

स्मृति सभा का संचालन करते हुए दिनेश प्रियमन ने याद दिलाया सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान के लिए खुदा की इबादत, मुल्क की आजादी का संघर्ष और जनता की निःस्वार्थ सेवा तथा धर्म-संप्रदाय के बंटवारों से अलग इन्सानी एकजुटता एक ही बात थी।

कार्यक्रम में इन्सादी बिरादरी, उन्नाव के संस्थापक सदस्य अरविन्द कुमार 'कमल', सरल कुमार एडवोकेट, पूर्व शिक्षक जयकृष्ण पाण्डेय, नसीर अहमद, के. के. मिश्र, पूर्व प्राचार्या डॉ. आभा माथुर, मो. अहमद, 'जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी' के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विभूति विक्रम व अशोक ने अपने सारगर्भित विचार रखे।

'इन्सानी बिरादरी' के विष्णु सहाय ने अपने अध्यक्षीय प्रतिवेदन में याद दिलाया कि भारत आगमन के समय बादशाह खान ने साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए इन्सानी बिरादरी के गठन की प्रेरणा दी थी—बाबरी मस्जिद ध्वंस के दौर में उसी दौरान उन्नाव में गठित इन्सानी बिरादरी ने साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए बुनियादी जमीनी काम किया—वह भावना कायम रखने और मजबूत करने की जरूरत है। पुस्तकालय प्रभारी सुरभि श्रीवास्तव ने बादशाह खान को भावांजलि देते हुए आगन्तुकों के प्रति आभार जताया। स्मृति-सभा में मौजूद लोगों में अन्यों के अलावा शामिल थे—कमाल खान दानिश, मो. आसिफ, जी. के. श्रीवास्तव, एस. जेड हैदर, श्याम मनोहर बाजपेई, डॉ. राजीव अवस्थी, कमलेश राजपूत, नूरेश पाल, अजय कुमार शास्त्री, इन्द्रसेन तथा पुस्तकालय के पूजा सिंह, सुशीला गौड़, सारिका सिंह, दीप्ति वर्मा, आरती त्रिवेदी, नीता, मोहित, ज्योति जगत, अंजली अवस्थी, विनियेश कुमार, प्रतिभा आदि।

–अशोक, उन्नाव

सर्व सेवा संघ का 85वां अधिवेशन चम्पारण में

सर्व सेवा संघ (अ. भा. सर्वोदय मंडल) का 85वां अधिवेशन 25 मार्च, 2017 (शनिवार) को सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष श्री महादेव विद्रोही की अध्यक्षता में *सुबह 10 बजे एम.एस. कॉलेज मोतीहारी (बिहार)* में होगा।

अधिवेशन के विचारणीय विषय

1. दिवंगतों को श्रद्धांजलि
2. दिल्ली अधिवेशन के कार्यवाही की पुष्टि
3. महामंत्री की रिपोर्ट
4. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय
5. सर्व सेवा संघ के अगले अध्यक्ष का निर्वाचन

कैसे पहुंचे : देश के अनेक भागों से 'बापूधाम मोतीहारी (रेलवे कोड-BMKI) की सीधी गाड़ियां हैं। यहां से मुजफ्फरपुर 83 किमी है। मुजफ्फरपुर के लिए राजधानी एक्सप्रेस सहित अनेक गाड़ियां उपलब्ध हैं। मुजफ्फरपुर से मोतीहारी के लिए अनेक गाड़ियां तथा बस उपलब्ध हैं। पटना से मोतीहारी की दूरी 155 किमी है। यहां से भी आधे घंटे के अंतराल पर बसें मिलती रहती हैं।

स्थानीय संपर्क : श्री विनय कुमार, मंत्री, पूर्वी चम्पारण जिला सर्वोदय मंडल, मो. : 9470775653/8521575300/7979008653, ई-मेल : vinaykumar91272@gmail.com

नोट : 1. अपने पहुंचने की निश्चित जानकारी सर्व सेवा संघ, प्रधान कार्यालय, महादेव भाई भवन, सेवाग्राम-442102, वर्धा (महाराष्ट्र), फोन नं. 07152-284061 एवं 284091, ई-मेल : sarvasevasangha@hotmail.com पर अवश्य दें, ताकि तद्नुसार व्यवस्था की जा सके।

2. ओढ़ने-बिछाने के कपड़े अपने साथ लायें।

3. अधिवेशन होली के थोड़े समय के बाद हो रहा है। अतः अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए अपना रेल आरक्षण तुरंत करवा लें।

विशेष सूचना : *दोपहर बाद 24 मार्च, 2017 को इसी स्थान पर सर्व सेवा संघ राष्ट्रीय कार्यसमिति* की बैठक होगी।

–शेख हुसेन, महामंत्री

गांधी का अपमान : मानवता का अपमान, भारत का अपमान

गांधी को मारा नहीं जा सकता, गांधी कभी मरता नहीं

कंपनियों के लिए सरकार ने खादी के दरवाजे खोले

❑ महादेव विद्रोही

वर्ष 2017 के खादी-ग्रामोद्योग आयोग की डायरी एवं कैलेण्डर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का फोटो निकालकर इसके स्थान पर नरेन्द्र मोदी का फोटो रखा गया है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि गांधी के फोटो ही छापे जायें और यह कोई पहला अवसर नहीं है जब गांधी का फोटो नहीं छापा गया। उन्होंने यह भी कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी खादी के सबसे बड़े ब्रॉन्ड एम्बेसेडर हैं। इस संबंध में हमारा कहना है कि खादी और गांधी का अभिन्न संबंध है। खादी गांधी विचार का एक भाग तथा आजादी की लड़ाई का पोशाक रहा है। साथ ही यह स्वावलंबन एवं भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रतीक है।

यह पहला अवसर है कि जब आयोग की डायरी पर गांधी की जगह किसी और व्यक्ति का फोटो छापा गया हो। जिन वर्षों में डायरी एवं कैलेण्डर में गांधी के फोटो नहीं छपे उन वर्षों में चरखा, खादी वस्त्र एवं ग्रामोद्योग संबंधी फोटो छपे हैं। 2017 की डायरी में गांधी का फोटो हटाकर मोदी का फोटो छापना आयोग का मोदी प्रेम एवं गांधी के प्रति घृणा दर्शाता है।

डायरी एवं कैलेण्डर में गांधीजी के फोटो संबंधी समाचारों के बाद हमें ऐसा लगा कि यह भूल से हुआ होगा, पर 2-3 दिनों के बाद हरियाणा के एक मंत्री श्री वीज ने गांधीजी के बारे में अनेक अपमानजनक बातें कह डाली। उन्होंने नरेन्द्र मोदी का फोटो छापने का बचाव तो किया ही, साथ ही यह भी कहा कि नोटों पर गांधीजी के फोटो के छपने से इसकी कीमत घट गयी है, आने वाले दिनों में नोटों पर से गांधीजी के फोटो हटा दिये जायेंगे। उसी दिन भाजपा के एक नेता ने कहा कि वे गांधीजी को राष्ट्रपिता नहीं मानते।

इन दोनों वक्तव्यों के बाद यह साफ हो गया है कि यह कोई भूल नहीं बल्कि गांधी एवं गांधी-विचार के खिलाफ एक सोची-समझी साजिश थी।

हमें जरा खादी और खादी ग्रामोद्योग के इतिहास को समझ लेना चाहिए। 1925 में गांधीजी ने चरखा संघ की स्थापना की। 1948 में इसे अखिल भारत सर्व सेवा संघ में विलीन करने का निर्णय किया गया। 1953 में भारत सरकार ने अखिल भारत खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना हुई। पहले खादी की संस्थाओं को प्रमाण-पत्र अखिल भारत सर्व सेवा संघ जारी करता था। हमने ही यह अधिकार यह मानकर आयोग को सौंपा था कि वह खादी को गांधी के अनुसार आगे बढ़ायेगा।

गांधी भारत की आर्थिक विपन्नता को दूर करने एवं राष्ट्र स्वाभिमान को जगाने के लिए चरखा कातते एवं कतवाते थे। फोटो सेशन के लिए या ब्रॉण्ड एम्बेसेडर बनने के लिए नहीं। वे तो चरखा के द्वारा जनता से एकाकार होना चाहते थे।

सरकार के लिए खादी आज बाजार की चीज बनकर रह गयी है। जबकि गांधी कहते थे—*खादी वस्त्र नहीं विचार है।* मोदी एवं वीज जिस विचारधारा को मानते हैं उसने ही 1948 में गांधी की हत्या की। उन्होंने सोचा था कि गांधी को मार देने से उनकी विचारधारा यानी ऊंच-नीच का भेद खत्म करना, जाति-पांति समाप्त करना, आर्थिक समानता लाना, सर्वधर्म समभाव आदि समाप्त हो जायेंगे। पर वह फैलता गया और फैलता ही जा रहा है।

सर्व सेवा संघ (अ. भा. सर्वोदय मंडल) गांधी, भारत एवं मानवता के इस अपमान के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं भाजपा की कड़े शब्दों में आलोचना करता है। वे वही तत्त्व हैं जो गांधी की हत्यारे की मूर्तियां बनवा रहे हैं। जनता को इन तत्त्वों से दूर रहना चाहिए।

आयोग का कहना है कि मोदी के आने से खादी की बिक्री बढ़ गयी है। पर यह बात विश्वास करने लायक नहीं है। पूरे देश में खादी का उत्पादन काफी घट गया है। ऐसे में बिक्री बढ़ गयी है। पर यह बात विश्वास करने लायक नहीं है। पूरे देश में खादी का उत्पादन काफी घट गया है। ऐसे में बिक्री कैसे बढ़ेगी? शायद वे साबुन, शैम्पु आदि को भी खादी मानते होंगे।

रेलगाड़ियों में पहले सूती के चादर दिये जाते थे। अब खादी ग्रामोद्योग आयोग उन्हें पॉलिवस्त्र की चादरें सप्लाई करती है। यह तो यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। ओढ़ने-बिछाने के लिए सूती वस्त्र उत्तम है। सिंथेटिक कपड़े स्वास्थ्य के लिए हानिकरक हैं। दूसरी बात स्वयं खादी ग्रामोद्योग आयोग पॉलिवस्त्र को खादी नहीं मानता। ऐसे में रेलगाड़ियों में खादी के नाम पर पॉलीवस्त्र सप्लाई करना एवं बिक्री के आंकड़े को बढ़ता हुआ दिखाना धोखा है।

सरकार ने खादी मार्क द्वारा कम्पनियों के लिए खादी के दरवाजे खोल दिये हैं। यह भारत सरकार के कम्पनी प्रेम को दिखाता है, खादी प्रेम को नहीं।

सर्व सेवा संघ खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं भारत सरकार से इस जनविरोधी कदम के लिए देश से माफी मांगने और मोदी के फोटो वाले सभी डायरी एवं कैलेण्डरों को वापस लेने की मांग करता है। ❑

सर्व सेवा संघ (स्वत्वाधिकारी) के लिए महामंत्री, शेख हुसैन द्वारा सर्व सेवा संघ परिसर, राजघाट, वाराणसी (उ.प्र.) 221001 से प्रकाशित तथा प्रिन्टेक, इंडियन प्रेस कॉलोनी, मलदहिया, वाराणसी से मुद्रित। प्रधान संपादक : बिमल कुमार / संपादक : अशोक मोती।